पंचम माला, खंड 64, अंक 16, बुधवार, 1 सितम्बर, 1976/10 भाद्र, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LXIV, No. 16, Wednesday, September 1, 1976/Bhadra 10, 1898 (Saka)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No ...276 (1)...
Dat ...4.XI.181...

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सत्रहवां सत्र
Seventeenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 64 में अंक 11 से 17 तक हैं
Vol. LXIV contains Nos. 11 to 17]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 16, बुधवार, 1 सितम्बर, 1976/10 भाद्र, 1898 (शक)

No. 16, Wednesday, September 1, 1976/Bhadra 10, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	1
(श्री एच० वी० कोजलगी)	(Shri H. V. Koujalgi)	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table. . .	1—5
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha . . .	6
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	6
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence of Members from the Sittings of the House. . . .	6
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee . . .	7
229वां प्रतिवेदन	Two Hundred and Twenty-ninth Report	
याचिका समिति—	Committee on Petitions—	
33वां प्रतिवेदन	Thirty-Third Report	7
सभा का कार्य	Business of the House	7-8
दिल्ली दुग्ध निगम विधेयक—पुरःस्थापित	Delhi Milk Corporation Bill—Introduced .	8-9
संविधान (44वां संशोधन) विधेयक	Constitution (Forty fourth Amendment) Bill	[9—15
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव	Motion to Introduce :—	
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale. . . .	9, 14-15
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena. . . .	9
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta. . .	9
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	9-11
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee . . .	11-12
श्री त्रिदिब चौधरी	Shri Tridib Chaudhari . . .	12
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar . . .	13-14
संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक	Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill . .	16
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider:—	
श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah . .	16-17, 21-22
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta. . . .	17
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena . . .	17-18
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar . . .	18-19
श्री जम्बुवंत धोटे	Shri Jambuwant Dhote . . .	19

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . . .	20
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait . .	21
श्री परिपूर्णनिन्द पैन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli . .	21
खण्ड 2 से 8 और 1	Clauses 2 to 8 and 1	22—31
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass as amended	
श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah .	23,24,25-26,27, 29-30,31
गुजरात राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा को लागू रखने के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution Re. Continuance of Proclamation in Relation to Gujarat .	32—41
श्री नटवर लाल पटेल	Shri Natwarlal Patel . . .	32
श्री भोगेंद्र झा	Shri Bhogendra Jha. . . .	32—33
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	33—34
श्री जाम्बुवंत धोटे	Shri Jambuwant Dhote . . .	34
श्री अरविन्द एम० पटेल	Shri Arvind M. Patel . . .	34
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar. . . .	35—36
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga	36
श्री पोपटलाल एम० जोशी	Shri Popatlal M. Jhoshi . . .	36—37
श्री इसहाक संभली	Shri Ishaque Sambhali .	37
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik . . .	37
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	38
डा० रुद्रप्रताप सिंह	Dr. Rudra Pratap Singh . .	38—39
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy . .	39—40
तमिलनाडु सहकारी राज्य भूमी विकास बैंक लिमिटेड द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों के बारे में तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई गारंटी के सम्बन्ध में सांविधिक संकल्प—	Statutory Resolution Re. Guarantee by Tamil Nadu Government in Respect of Debentures of Tamil Nadu Cooperative State Land Development Bank Ltd. .	41—42
श्री शाह नवाज खां	Shri Shah Nawaz Khan . . .	41
अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill . . .	42—43
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy . .	42—43
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	43
श्री झारखंडे राय	Shri Jharkhande Rai. . . .	43

लोक सभा

LOK SABHA

बुधवार, 1 सितम्बर, 1976/10 भाद्र, 1898 (शक)

Wednesday, September 1, 1976/Bhadra 10, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Glock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बधी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को अपने भूतपूर्व सहयोगी श्री एच० वी० कौजलगी के दुखद निधन की सूचना देनी है । उनका स्वर्गवास कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले बेलहोंगल के स्थान पर 67 वर्ष की आयु में 30 अगस्त 1976 को हो गया ।

श्री कौजलगी वर्ष 1963–67 के दौरान तीसरी लोक सभा के सदस्य थे । इससे पहले वह बम्बई विधान सभा के संदस्य थे ।

मृदुभाषी और सहृदय श्री कौजलगी सदन की कार्यवाही में सक्रिय रुचि लेते थे । ग्रामीण क्षेत्र के विकास में उनकी विशेष रुचि थी तथा उन्होंने अपने राज्य में स्थानीय निकायों के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हैं तथा मुझे विश्वास है उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करने में सभा मेरा साथ देगी ।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कुछ क्षण मौन खड़े रहे ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 और तमिलनाडु नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं निम्न-लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) तीसरा संशोधन नियम 1976 जो दिनांक 17 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1049 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) चौथा संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 24 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1107 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 11341/76]

(2) (एक) तमिलनाडु राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तमिलनाडु नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 34) की एक प्रति जो दिनांक 3 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उपर्युक्त अधिनियम के सम्बन्ध में अन्य बातों के साथ-साथ उसका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 11342/76]

पैट्रोलियम निगम 1976 और चमड़ा उत्पाद उद्योग विकास परिषद के वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) पैट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 4, 5, 14, 21, 22 और 29 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी किये गये पैट्रोलियम नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 479 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 11343/76]

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद उद्योग विकास परिषद् के वर्ष 1973–74

के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 11344/76]

भारतीय पुलिस सेवा/संवर्ग में पद संख्या निर्धारण 12वां संशोधन विनियम 1976 और भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) 13वां संशोधन नियम 1976।

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) 12वां संशोधन विनियम, 1976, जो दिनांक 25 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 765 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) 13वां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 25 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 766 (ङ) में प्रकाशित हुए है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 11345/76]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाएं और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (स्वविकासी कार्यविधि) समीक्षा समिति के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा किए गए निर्णय दर्शाने वाला विवरण

बैंकिंग और राजस्व विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 767 (ङ) जो दिनांक 26 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सा० सां० नि० 1266 जो दिनांक 28 अगस्त, 1976, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 1265 जो दिनांक 28 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (स्व-निकासी कार्यविधि) समीक्षा समिति के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा किये गये निर्णय दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 11346/76]

तमिलनाडु संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन) नियम, 1975

श्रम मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत : तमिलनाडु संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन) नियम, 1975 के *(हिन्दी संस्करण की एक प्रति जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 973 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण के साथ उसका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—11347/76]

तमिलनाडु सम्पदा (उत्सादन और रायतवारी में बदलना) अधिनियम के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना तथा विलम्ब के कारण बताने वाला और हिन्दी संस्करण को सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण।

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु सम्पदा (उत्पादन और रायतवारी में बदलना) अधिनियम, 1948 की धारा 63 के साथ पठित धारा 67 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 1400 की एक प्रति जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 11348/76]

गुजरात निर्यात निगम लिमिटड, अहमदाबाद के वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण। चाय (संशोधन) नियम, 1976, इलायची बोर्ड एरनाकुलम के वर्ष 1973–74 तथा 1974–75 के प्रमाणित लेखे तथा तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड, मद्रास के 31 मार्च; 1974 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

*अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण 21 अगस्त, 1976 को सभा पटल पर रखा गया था।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (3) के अन्तर्गत गुजरात निर्यात निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सँस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर सरकार की समीक्षा सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11349/76]

(2) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चाय (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 7 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सँख्या सा० सां० नि० 1162 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11350/76]

(3) इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इलायची बोर्ड, एरनाकुलम के वर्ष 1973–74 तथा 1974–75 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11351/76]

(4) तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खँड (ग) (चार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अँग्रेजी सँस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड, मद्रास के 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की तमिलनाडु सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड, मद्रास के 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित न लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11352/76]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : :मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है।

राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 26 अगस्त, 1976 को पास किए गए विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1976 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILL

महासचिव : मैं, चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किए गए तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयक सभा पटल पर रखता हूं।

(1) राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1976।

(2) राज्यक्षेत्रीय सागरखण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट-भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र विधेयक, 1976।

(3) भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976

(4) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) विधेयक, 1976

(5) विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1976।

(6) तमिलनाड् विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1976।

(7) पांडिचेरी विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1976।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTING OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने 30 वें प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों रिपोर्ट में दर्शाई गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की है :

1) श्री शक्ति कुमार सरकार

2) श्री एम० के० कृष्णन

3) श्री मधु दण्डवते

क्या सभा समिति की सिफारिश पर उक्त सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान करती है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को सूचित कर दिया जाएगा।

लोक-लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

229 वां प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं भट्टियों की खरीद और कारतूसों के खोलों की बिक्री के बारे में भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972–73 के प्रतिवेदन–संघ सरकार (रक्षा सेवायें) के पैराग्राफ 7 और 20 पर लोक लेखा समिति का 229वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETIONS

33 वां प्रतिवेदन

श्री विभूति मिश्र : मैं याचिका समिति का 33वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : कार्यसूची काफी लम्बी है और ऐसा लगता है कि आज हम सभी विषयों पर चर्चा करने में समर्थ नहीं होंगे अतः मेरा सुझाव है कि कल के दिन और कार्य करके काम पूरा कर लिया जाए । यदि इससे किसी माननीय सदस्य को असुविधा हुई है तो मुझे उसके लिए खेद है ।

श्री एन० एन० बनर्जी (कानपुर) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । कार्य मंत्रणा समिति के कुछ सदस्यों ने अनुरोध किया था कि स्वास्थ्य मंत्री ने परिवार नियोजन के सम्बन्ध में उठ रहे प्रश्नों पर एक वक्तव्य देने के किए कहा जायें । हम सभी परिवार नियोजन के पक्ष में है । परन्तु उत्तर प्रदेश और अन्य स्थानों से यह समाचार आ रहे हैं कि वहां लोगों के साथ इस मामले में जबर्दस्ती की जा रही है । कई प्रकार की अफवाहें उड़ रहीं है । स्वास्थ्य मंत्री सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य दें और लोगों में इस बात का विश्वास पैदा करें कि किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जा रही है ।

श्री रेनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं श्री बनर्जी के कथन का पूर्ण समर्थन करता हूं साथ ही मैं आपको बोनस के मामले में दी गई ध्यानाकर्षण सूचना को स्वीकार करने का भी अनुरोध करता हूं । यह एक ऐसा विषय है जिस पर सारे देश में असंतोष छाया हुआ है । इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जाए कि क्या दिवाली और पूजा से पहले उन्हें कुछ बोनस दिया जाएगा ।

देश भर में असन्तोष व्याप्त है। अतः मंत्री महोदय को इस मामले में एक वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह चाहें तो वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : पहले प्रश्न पर तो आप सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : मैंने परिवार नियोजन के बारे में आधे घंटे की चर्चा का नोटिस दिया था। जिसे अस्वीकृत कर दिया गया है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं नियम 377 के अधीन एक मामला उठाना चाहता हूं जो आसनसोल में चिनाकारी कोयला खान में गोली कांड के बारे में हैं। मैंने एक अल्प सूचना प्रश्न का भी नोटिस दिया था। मैं इस मामले को यहां उठाना चाहता हूं। चिनाकारी कोयला खान में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से एक व्यक्ति मारा गया है।

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : परिवार, नियोजन के बारे में मैं पहले कह चुकी हूं कि हम किसी पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं। हमारी ऐसी कोई नीति नहीं हैं। लेकिन यह राज्य का विषय है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस बारे में ही नहीं अन्य कई बातों के बारे में भी अनेक अफ़वाहें फ़ैलाई, जाती हैं। हाल, ही में कलकत्ता में जानकारी के लिए लाये गये कुछ मामलों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री ने मुझे टेलीफ़ोन पर सूचना दी है कि जांच करने पर उनमें कोई सत्यता नही पाई गई। ऐसी भी अफ़वाहे हैं कि बच्चों को लगाये जाने वाले बी० सी० जी० और हैजे से बचाव के टीके बंधीकरण के टीके हैं। इस प्रकार की गलत अफ़वाहे फ़ैलाई जा रही है। परन्तु यदि कहीं किसी को तंग किया गया है तो उसकी जांच की जा सकती है। सभी राज्यों को इस सम्बन्ध में निर्देश दे दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सदन की इच्छा हैं कि सभा की बैठक कल भी बुलाई जायें?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : कल भी सभा की बैठक होगी।

दिल्ली दुग्ध निगम विधेयक

DELHI MILK CORPORATION BILL

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस उद्देश्य से कि जन साधारण को स्वास्थ्यप्रद दूध और दूध से बनी चीजें उचित कीमत पर उपलब्ध हो सके, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में दूध और दूध से बनी चोजों के उत्पादन, विनिर्माण, अर्जन वितरण और विक्रय के प्रयोजन के लिये एक निगम को स्थापना करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि इस उद्देश्य से कि जन साधारण को स्वास्थ्यप्रद दूध और दूध से बनी चीजें उचित कीमत पर उपलब्ध हो सके, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में दूध से बनी चीजों के उत्पादन, विनिर्माण, अर्जन वितरण और विक्रय के प्रयोजन के लिये एक निगम की स्थापना

करने तथा करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

Motion was adopted

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

संविधान (44 वां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (44th AMENDMENT) BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं विधेयक के पुरः स्थापित किए जाने का विरोध करता हूं । इस सदन को विधेयक में निहित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है । इस सम्बन्ध में मैं नियम 72 का उल्लेख करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप विरोध करना चाहते हैं तो आपको पहले लिखना चाहिए था । ऐसा कानून बनाना संसद् के अधिकार क्षेत्र में हैं । फिर केवल उन्हीं सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जानी है जिन्होंने पहले लिखा हो ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस स्थिति में इस विधेयक का समर्थन अथवा विरोध करना सम्भव नहीं है क्योंकि यह आंशिक रूप में ही अच्छा है । यह एक बहु-प्रयोजनीय विधेयक है, ऐसा विधेयक सदन के सम्मुख कभी भी नहीं लाया जाना चाहिए था । देश में अब तक जो चर्चा हुई है वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर हुई है । हमारे दिमाग में यह बात बैठा दी गई कि इसी आधार पर चर्चा होगी तथा विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाएगा । हमें यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि विधेयक में ऐसी अनेकों बातें हैं, जिनका समिति के प्रतिवेदन में कोई उल्लेख नहीं था । सरकार इस पर विचार करें । यह बहुत महत्वपूर्ण पेचीदा और विशद प्रश्न है जिसका संविधान के अनेकों उपबन्धों से सम्बन्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : उचित अवसर पर आपको अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा । चार सदस्यों ने विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करने की सुचना दी है । सामान्यतः नियमानुसार केवल एक ही सदस्य को विरोध करने की अनुमति दी जा सकती है, परन्तु यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है इसलिए मैं चारों सदस्यों को अनुमति दे रहा हूं पर यह एक पूर्वोदहारण नहीं होगा ।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : मैं विधेयक के पुरः स्थापित किए जाने का विरोध करता हूं ।

प्रस्तावित संशोधन सरकार द्वारा नियुक्त की गई राष्ट्रीय समिति की सिफ़ारिशों पर आधारित नहीं है वरना वह सत्ताधारी दल का अपने सदस्यों की ही समिति की सिफ़ोलिशों पर आधारित है ।

यह उल्लेखनीय तथ्य है कि विधि मंत्री ने विपक्षी नेताओं से जो चर्चा की उसका कोई ब्यौरा पत्रों में नहीं छपा। इस समय पर भी सेन्सर को नहीं हटाया गया। ऐसी स्थिति में संगठन कांग्रेस, जन संघ समाजवादी दल और भारतीय लोक दल के जनता मोर्चे के सामने इसके अतिरिक्त विकल्प नहीं रह गया कि वह इस चर्चा में भाग लेने से मना कर दें। परन्तु इस समाचार को भी समाचार पत्रों में नहीं छापा गया।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुझा) : संसद् में जनता मोर्चा नाम का कोई दल नहीं है इस लिए माननीय सदस्य ऐसे किसी दल की ओर से नहीं बोल सकते जिसके चुनाव घोषणा पत्र पर वे न चुने गये हों। यह संसदीय प्रक्रिया का एक नियम है यह एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है वरन् अपने अपने मत की बात है। जब तक श्री पटेल संसमोचित बात कहते हैं मैं उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया): मैं समझता हूं यह किसी नए दल को मान्यता देना नहीं है।

श्री एच० एम० पटेल : प्रधान मंत्री तथा कांग्रेस पार्टी की इस घोषणा के बावजूद कि संविधान के प्रस्तावित संशोधन पर राष्ट्रीय स्तर पर वाद विवाद होना चाहिये, ऐसा होना संभव नहीं हो रहा है। वस्तुतः इसकी अनुमति नही दी गई है। अनेक स्थानों पर बैठकों और विचार गोष्ठियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। विभिन्न दलों द्वारा गठित एक युक्त राष्ट्रीय समिति को जिसमें निधि शास्त्री और शिक्षाविदी है, दिल्ली में अपनी गोष्ठी आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है। फ़िर जहां कहां भी ऐसी विचार गोष्ठियां हुई है, वहां हुई कार्यवाही के वृतान्त को ठीक प्रकार से प्रकाशित नहीं होने दिया गया। प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों पर वर्तमान वातावरण में कोई आम राय बन ही नहीं सकती।

सरकार की कथनी और करनी में अन्तर का आभास होता है। सरकार संविधान के माध्यम से तनाशाही स्थायी बनाना चाहती है। इन संशोधनो द्वारा न्यापालिका को नपुंसक बनाया जा रहा है समाचार पत्रों को सपवार का दास और संसद को निष्प्रभावी किया जा रहा है। जनता को दासी बना दिया जायेगा।

जहां एक ओर संविधान में राष्ट्रीय कर्त्तव्यों को रखा जा रहा वहां साथ ही 41 वें संशोधन द्वारा कुछ व्यक्तियों को कानून से ऊपर दर्जा दिया जा रहा है। जनता के लिये तो कर्त्तव्यो होगे परन्तु शासकों के लिये केवल अधिकार ही होंगे। यह स्पष्ट है कि सरकार के कुछ एक कार्य बुनियादीएवर्त्तियों के विपरित हैं। वास्तव में संविधान में इन संशोधनों से हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वातन्त्रय सम्बन्धी आदर्श समाप्त हो जायेंगे।

अब सरकार के विरुद्ध किसी भी बात को राष्ट्र विरोधी माना जा सकेगा। सरकार वास्तव में तानाशाही बन जायेगी। राष्ट्रपति की शक्तियों में कमी की जा रही है। अब सरकार एक आदेश द्वारा और उन्हें संसद् की शक्तियों की परवाह न करते हुए कार्यपालिका को बहुत अधिकार दे सकेगी। संसदीय पद्धति केवल दिखावे की वस्तु बन कर रह जायेगी।

संसदीय लोक तन्त्र के प्रतीकों अर्थात् संसद्, राष्ट्रपति, न्यायपालिका को शक्तिशाली कार्यपालिका के दास बना दिया जायेगा। लोगों को किसी प्रकार की आजादी नहीं होंगी।

संसद् की सामान्य कार्यावधि समाप्त हो चुकी है । अतः इसे अब कोई राजनीतिक या नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं है । यह ठीक है कि आपात स्थिति के दौरान संसद् के कार्यकाल को बढाया जा सकता है । परन्तु इस अवधि में साधारण और अत्यावश्यक विधान ही पारित किया जाना चाहिए । परन्तु हो यह रहा है कि संविधान में मूलभूत परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया जा रहा है । सरकार देश में भय और आतंक के वातावरण को बढाना चाहती है । ऐसे वातावरण में स्वतन्त्र तथा न्यायोचित चुनाव किस प्रकार सम्भव होंगे ।

सरकार प्रतिपक्ष के सदस्यों को वार्तालाप में शामिल करके इस प्रकार का दिखावा करना चाहती है कि ये संशोधन प्रतिपक्ष के साथ बातचीत करने के पश्चात् किये जा रहे हैं । इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ने सभा की कार्यवाही में भाग न लेने का निर्णय किया है ।

आपात स्थिति को लागू हुए एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है । इसके साथ ही संसद् के अनेक प्रमुख प्रतिपक्षी नेताओं को जेल में बन्द कर दिया गया है । सदस्यो के भाषणो के प्रकाशन पर एक प्रकार का प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । ऐसी स्थिति में संसद् की स्थिति हास्यास्पद हो गई है । संसद् के अधिकार समाप्त करके एक दलीय शासन स्थापित किया जा रहा है । यदि प्रतिपक्ष के प्रमुख सदस्यों और मतभेद रखने वाले शासक दल के सदस्यों को जेल में बन्द कर दिया जाये तो ऐसी स्थिति में संसद् संसद् कहलाने की हकदार नहीं हो सकती। ये लोग बिना मुकदमा चलाए गत 14 महीनों से भी अधिक समय से जेल में पड़े हैं ।

जुलाई, 1975 के सत्र में हमने भाग लिया और आशा की थी कि ये प्रतिबन्ध अस्थायी होंगे और सामान्य रुप से कार्य होने लगेगा । हमारी सभी आशाओ पर पानी फ़िर गया है । प्रतिबन्ध जारी रखे जा रहे हैं और लोक सभा के चुनावों को स्थगित कर दिया गया है । सरकार ने आंसुका की अवधि बढा दी है । समाचार-पत्रों पर सेंसरशिप को और कडा कर दिया गया है । हजारों की संख्या में प्रतिपक्षी सदस्य और युवा लोग जेलों में बन्द हैं ।

आपने हमारे अनुरोध पर सरकार के साथ बातचीत करायी थी । परन्तु इसमें कोई प्रगति नहीं हो सकी । हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही कांग्रेसी सदस्य और सरकार अपने पुराने इतिहासिक महत्वपूर्ण स्थान की ओर आकर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का पक्ष लेंगे । हमारे जो साथी बन्दी हैं उन्हें छोड़ दिया जायेगा और समाचारपत्रों आदि पर लगे प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये जायेंगे । हम इस बारे में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमो का स्वागत करेंगे ।

इन शब्दो के साथ मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री समर मुखर्जी (हावडा): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक के पेश किये जाने का विरोध करता हूं । देश के लोकतन्त्रीय जीवन में ऐसे आमूल परिवर्तन करने वाले इस संवैधानिक संशोधन वियधेक को इस प्रकार शीघ्रता से पारित नहीं किया जाना चाहिये । इस पर राष्ट्रव्यापि स्तर पर और जनता के सभी वर्गों द्वारा विचार किया जाना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में हमारी मुख्य आपत्तियां ये हैं : (1) इस लोक सभा को ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने का अधिकार नहीं हे । (2) जनता ने जिस अवधि के लिये इस संसद् को चुना था वह

18 मार्च को समाप्त हो चुकी है। अब इसे आपात स्थिति का सहारा लेकर बनाये रखा जा रहा है। लोगों को नई संसद् चुनने का अवसर नहीं दिया जा रहा। (3) शासक दल और सरकार संविधान में आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं और कार्यपालिका के हाथों में शक्तियों को केन्द्रित करना चाहते है (4) 1971 के आम चुनावों के समय ये संशोधन जनता के समक्ष नहीं रखे गये थे। (5) यह विधेयक उस समय लाया जा रहा है जब देश में दो प्रकार की आपात स्थिति लागू है और जनता के सभी अधिकार समाप्त किये जा चुके हैं और प्रतिपक्ष की आवाज को दबा दिया गया है।

प्रतिपक्षी दलों को सार्वजनिक बैठकें करके प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करने की अनुमति नहीं है। मैंने इसके उदाहरण देते हुए एक पत्र संसदीय कार्य मंत्री को लिखा है।

सरकार की ओर एक ओर तो यह प्रचार किया जा रहा है कि प्रस्तावित संशोधन को पास करने में जल्दबाजी न की जाय और दूसरी ओर हम देखते है कि विचार व्यक्त करने की आजादी नहीं भी है। शासक दल से मतभेद रखने वालों को पूर्णत: दबाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इस बारे में अनेक उदाहरणों की मुझे जानकारी है। केरल में भी ऐसा ही हो रहा है।

इस विधेयक को उस समय लाया जा रहा है जब प्रतिपक्षी दलों के प्रमुख सदस्य जेलों में बन्द हैं। उनके हजारों समर्थक भी बन्दी के रूप मे जेलों में रखे जा रहे हैं।

ऐसी स्थिति में कोई स्वतंत्र बहस नहीं हो सकती। हम संविधान में संशोधन के विरुद्ध नहीं हैं। हमने तो स्वयं प्रगतिशील परिवर्तनों की मांग की है। अब जब शासक दल देश की समस्याओं को हल करने में असफल हो गया है, तो वह संशोधनों को लाकर आपात स्थिति को स्वार्थी रूप देन चाहता है। । देश में संविधान के नाम पर तानाशाही की स्थापना की जा रही है।

हम चाहते है कि देश में इस विधेयक पर पहले स्वतंत्र रूप से चर्चा होने दी जाये। यदि सरकार इस अपील की ओर ध्यात नहीं देती तो हम सभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे।

मैं इस विधेयक के पेश किये जाने का विरोध करता हूं।

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : पूर्व वक्ताओं द्वारा कही गई बातों के साथ मुझे एक दो और बातें कहनी हैं। मैं इस विधेयक के पुर: स्थापन का विरोध करता हूं। उच्चतम न्यायालय के केशवानन्द भारती मामले निर्णय के अनुसार संसद् को संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। इस विधेयक द्वारा संविधान में आमूल परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। अत: यह ठीक नहीं है। अत: संसद् इसे पारित करने में सक्षम नहीं है। ।

एक लिखित सांविधान वाले देश में जनता को प्रभुसत्ता मिली होती है। हमारे संविधान की प्रस्तावना से यह स्पष्ट है। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या संसद् इस बारे में परिवर्तन कर सकती है? जनता द्वारा निर्वाचित एक संविधान सभा ही संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन कर सकती है।

यह अच्छा है कि भारत को समाजवादी गणतन्त्र घोषित करने का प्रस्ताव है। परन्तु सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा रहा है। हम इसकी वर्षों से मांग करते आ रहे हैं। निजी सम्पत्ति वाले देश को समाजवादी कैसे कह सकते हैं।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): श्रीमन् मैं संविधान के 44 वें संशोधन विधेयक को पेश किये जाने का विरोध करता हूं । मैं यह संवैधानिक कानूनी और राजनीतिक कारणों से कर रहा हूं।

सरकार की ओर से 1975 में संविधान के 25 वर्ष होने के अवसर पर कहा गया था कि हमारे बुनियादी सिद्धान्त बहुत अच्छे है। उस समय संविधान के निर्माताओं की बहुत प्रशंसा की गई थी। अब एक वर्ष में ऐसी क्या बात हो गई है कि इतने विस्तृत संशोधनों की आवश्यकता हो गई है ।

स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू तथा अन्य नेताओं ने कहा है कि संविधान में संशोधन बहुत कम होने चाहिये और यह जनता से परामर्श करके किये जाने चाहियें । हमारे देश के बड़े-बड़े नेताओं ने संविधान के निर्माण के समय न केवल अपने दल के लोगों से मन्त्रणा की थी बल्कि उनसे भी सलाह को थी जिनसे उनके मतभेद थे। वे लोग जानते थे कि संविधान केवल शासक दल के लिये नहीं बल्कि समूचे देश के लिये होता है। हम भी संविधान में परिवर्तन किये जाने के पक्ष में हैं, परन्तु यह जनता से बातचीत करके किये जाने चाहियें। वे परिवर्तन जनता के हित में होने चाहियें।

जब संसदीय कार्य मंत्री ने मुझे बातचीत के लिये आमंत्रित किया था तो मैंने उस निमन्त्रण को अस्वीकार करने के बारे में उन्हें एक पत्र लिखा था। मैंने उन्हें बताया था कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में बात चीत कैसे सम्भव हो सकती है।

महत्वपूर्ण और प्रमुख संवैधानिक परिवर्तनों को 1971 में या बाद में महत्वपूर्ण चुनाव का मामला नहीं समझा गया है। 1975 में हमारे संविधान तथा गणतन्त्र के 25 वर्ष पूरे होने की रजत जयंतीं के उपलक्ष्य में हमारे उच्च सरकारी तथा राष्ट्रीय नेताओं ने हमारें संविधान की भूरि-भूरि सराहना की थी। फिर संवैधानिक संशोधनों के लिये इतना उन्माद और आतुरता क्यों है? किसी भी हालात में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता से समयोचित परामर्श किये बिना संविधान के विभिन्न उबपबन्धों को परिवर्तित करने का क्या अधिकार प्राप्त है?

मैं चाहता हूं कि सरकार यह बताये कि क्या यह उचित है कि लोक सभा उस समय संविधान में संशोधन करें जबकि हमारे बहुत से साथी पिछले 14 महीनों से जेल में हैं? उनके यहां सक्रिय सहयोग के बिना ऐसी कार्यवाही न उचित है और न ही महत्वपूर्ण है।

इतना ही नहीं जो कुछ आज हम जहां पर बोल रहें हैं वे कल समाचार पत्रों में प्रकाशित होगा अथवा आकाशवाणी द्वारा प्रसारित होगा इसमें संदेह है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री पी० जी० मावलंकर: मैं अभी समाप्त करता हूं।

संविधान देश का मौलिक कानून है। यह सरकार और जनता दोनों को वास्तविक लोकतंत्र में बांधता है। जनता ही संविधान की स्वामी है संविधान जनता का स्वामी नहीं होता। सरकार ही संविधान के नाम में जनता पर अधिकार कर सकती है और जनता पर आधिपत्य जमा सकती है। जब भी संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है तो इसकी प्रक्रिया में जनता से स्वतंत्र एवं नियुक्त वातावरण में परामर्श करना चाहिए। ऐसा उस स्थिति में अधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य हो जाता है जैसे कि स्वर्ण सिंह समिति के प्रतिवेदन के प्रकाश में संविधान में परिवतन करने का प्रस्ताव किया गया है।

यह विधेयक तो स्वर्ण सिंह समिति के प्रतिवेदन से भी आगे बढ़ गया है। अतः जिस तरह यह विधेयक यहां लाया गया है वह अनुचित है? इसलिए यह विधेयक इस स्थिति में यहां नहीं लाया जाना चाहिए था। यह प्रतिकाष्ठा खण्ड 59 में आ गई है जिससे राष्ट्रपति को संविधान के अन्तर्गत अनुमत सभी काम करने का अधिकार दिया गया है। तो फिर हम यहां क्यों बैठे हैं? जब राष्ट्रपति ही सब कुछ कर सकता है तो संसद् की क्या आवश्यकता है। इससे संसद् का व्यक्तित्व ही समाप्त हो गया है और इसका अस्तित्व ही नहीं रहा है। यह सदस्यों की मर्यादा के अनुकूल नहीं है और न ही ऐसी स्थिति में कार्य करना मर्यादापूर्ण है।

श्री एच० आर० गोखले : अध्यक्ष महोदय.....(व्यवधान)

श्री समर मुखर्जी : अध्यक्ष महोदय। हम विरोध स्वरूप सभा से बाहर जाते है।

(श्री समर मुखर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से उठ कर चले गये)।

(At this stage, Shri Samar Mukherjee and some other hon. Members left the House)

श्री एच० आर० गोखले : विधेयक को पुरःस्थापित करते समय मैं लम्बा भाषण नहीं देना चाहता।

आज जितनी बातें यहां पर कहीं गई हैं वे सभी संविधान के चौबीसवां संशोधन विधेयक लाए जाने पर भी कही गई थीं। परन्तु कुछ असंगत बातें भी कहीं गई हैं। कुछ जानबूझकर भय पैदा करने की चेष्टा की गई है।

यह सच है कि कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को बातचीत का आधार बनाया गया था, लेकिन यह सच नहीं है कि चर्चा को केवल उन्हीं मुद्दों पर सीमित रखा गया जो स्वर्ण सिंह समिति के प्रतिवेदन में उठाये गये थे। भारतीय साम्यवादी दल ने संविधान में संशोधन के लिये कुछ सुझावों से युक्त छपा हुआ ज्ञापन दिया है जिसके बहुत से सुझाव समिति के सुझावों से भिन्न हैं।

यह कहा गया है कि ऐसे मामले में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए और सरकार के प्रस्ताव उपलब्ध होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह इस सदन में हैं या बाहर है, सदन में विचारार्थ प्रस्तुत प्रस्तावित प्रस्तावों के प्रकाश में अपने सुझाव देने का पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। यही हम यहां कर रहे हैं। यद्यपि साधारणतया यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा सकता है और पारित किया जा सकता है लेकिन वह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है और जो भी किया जा रहा है वह इस सदन में इस विधेयक को पुरःस्थापित करने, इन प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए किया जा रहा है। इस तरह विपक्षी दलों को तथा इस सदन से बाहर के लोगों को, जिन्होंने अपने सुझाव दिए हैं, पूरा अवसर मिलेगा। यदि उनके सुझाव विचार करने योग्य होंगे, तो विधेयक पेश करते, इस पर विचार करते और पास करते समय उनको ध्यान में रखा जायेगा।

यह भी कहा गया है कि इससे पहले प्रधान मंत्री ने कहा था कि इस पर राष्ट्रव्यापी वाद-विवाद होना चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था और प्रत्येक व्यक्ति का मत है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रव्यापी वाद-विवाद अनिवार्य है। संविधान में संशोधन करने के प्रस्तावों पर व्यापक राष्ट्रव्यापी वाद-विवाद हो चुका है। इन मामलों से सम्बन्धित पत्रिकाओं, छोटे और बड़े समाचारपत्रों

में लेख प्रकाशित हुए हैं। उन सभी तर्क वितर्कों पर पूरा विचार कर हमने इस सदन में विधेयक पुनः स्थापित करने का निर्णय किया है।

इतना ही नहीं सभा की बैठकों एवं गोष्ठियों में भी चर्चा हुई है। संवैधानिक संशोधनों पर चर्चा करने के लिए समूचे भारत भर की बार एसोसियेशनों में और बाहर अनेक गोष्ठियों एवं बैठकों का आयोजन किया गया है। अतः यह नितांत गलत है कि इस पर राष्ट्रव्यापी चर्चा नहीं हुई है। इन चर्चाओं के दौरान हमारे ध्यान में बहुत सी तर्क संगत बाते आई है जिनको हमने विधेयक का मसौदा तैयार करते समय ध्यान में रखा है।

कुछेक गोष्ठियों या बैठकों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने का उल्लेख किया गया है। कुछ सदस्यों ने मुझे पत्र लिखा था कि कई बैठकों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। ऐसे सभी मामलों को मैं गृह मंत्री के ध्यान में ला चुका हूं। देखने में आया है कि संवैधानिक संशोधनों के बारे बैठकें आयोजित करने के बहाने ये बैठकें किसी और उद्देश्य को लेकर की गई हैं। ऐसा दिल्ली तथा अन्य कई स्थानों में हुआ है। हमें बताया गया है कि कुछ बैठकों का आयोजन करने का उद्देश्य देश में अराजकता और अव्यवस्था फैलाना था।

कहा गया है कि इस विधेयक में एक खण्ड राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में है। सारी बात का सारांश यह है कि यदि हम इसे स्वीकार करते हैं तो हमें अपने संवैधानिक संगठन में या संविधान में ऐसा उपबन्ध करना होगा जिससे जो गतिविधियां राष्ट्र की एकता के प्रतिकूल हैं और राष्ट्र के लिए मूल रूप में घातक हैं, तो उनका सामना करना होगा और फिर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए किसे आपत्ति होगी लेकिन फिर भी यदि किसी उपबन्ध विशेष के बारे में कुछ कहना है, तो उस सम्बन्ध में विधेयक पर विचार करते समय चर्चा की जा सकती है।

उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय का उल्लेख किया गया है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि संविधान में मूल तत्वों को बदला नहीं जा सकता। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अपने उस निर्णय में हमें यह नहीं बताया है कि संविधान के मूल तत्व क्या हैं। मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं कि संविधान में ऐसे कुछ मूल तत्व हैं जिन्हें बदला या जिनका संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि सही प्रक्रिया का पालन किया जाये तो संविधान की प्रत्येक धारा का संशोधन किया जा सकता है।

यह प्रश्न उठाया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसलिए इसे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन केशवानन्द भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। अतः इस आपत्ति का कोई आधार नहीं है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 15, 16 एवं 17 को कल तक के लिए स्थगित किया जाता है।

संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

निर्माण, आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद् सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति की सिफारिशों के अनुसरण में लाया गया है ।

इस विधेयक का अत्यधिक महत्वपूर्ण उपबन्ध भूतपूर्व संसद् सदस्यों को पेंशन देने के बारे में है । इस विधेयक में उस संसद् सदस्य को जो एक बार संसद् सदस्य रह चुका है 300 रुपये की पेंशन का प्रावधान है चाहे वह अस्थाई संसद् का या संविधान सभा का सदस्य रहा है । विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के लिए सदस्य को 50 पये अधिक पेंशन मिलेगी और अधिकतम 500 रुपये मिल सकते हैं ।

अधिनियम में अब यह उपबन्ध भी किया गया है कि 75 दिन से अधिक की सत्रावधि में एक सदस्य को 4 बार यान से यात्रा करने का पास मिलेगा और 75 दिन से कम अवधि के सत्र में दो बार यान द्वारा यात्रा करने के लिए पास मिलेगा व्य कभी कभी सदस्य एक सत्र में इन पासों का उपयोग नहीं कर पाता है । इसलिए उस पास को वह अगले सत्र में उपयोग में ला सकता है बशर्ते कि वह यात्रा एक ही वर्ष के भीतर की जाये ।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अन्तर सत्रावधि में क्यों नहीं दिये जाते ।

श्री के० रघुरामैया : इस व्यवस्था का मूल इस बात में था कि देश के दक्षिण तथा पूर्वी भाग से आने वाले सदस्यों को रेल द्वारा आने में कठिनाई होती थी । रेल द्वारा आने से उन्हें एक सप्ताह लग जाता था । इस व्यवस्था का अभिप्राय यही था कि सदस्य सत्र के दौरान समय पर पहुंच सकें । इस सुविधा को अन्तर सत्रावधि में दिया जाना सम्भव नहीं है ।

फिर बाढ़ अतिवृष्टि हिमपात से सड़क टूटने आदि के मामलों में कुछ सदस्य अपने चुनाव क्षेत्र या दिल्ली नहीं आ पाते हैं । इसलिए इस विधेयक के एक खण्ड के अनुसार वह सदस्य उस क्षेत्र से निकटतम रेलवे स्टेशन तक यान द्वारा यात्रा करने के लिए एक निःशुल्क पास का उपयोग कर सकता है ।

इस आशय का एक अभ्यावेदन दिया गया है कि जब सदस्य निर्वाचित होता है तो उसे शपथ ग्रहण करने वाले दिन से ही वेतन मिलना चाहिए तब से नहीं जब वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करता है, क्योंकि यह तो सत्र के दौरान ही सम्भव है । समिति ने सिफारिश की है कि सदस्य को उस समय जबकि सदन की बैठक नहीं होती शपथ दिलाने की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं जिससे वह अपना वेतन शपथ ग्रहण करने वाले दिन से ही प्राप्त करने लगे हमने इस सिफारिश पर विचार किया है और यह अनुभव किया है कि यदि सदस्य को उस दिन से वेतन मिलने लगे जिस दिन वह निर्वाचित घोषित

किया जाता है तो यह अधिक अनुग्रहात्मक रहेगा । अतः इस आशय का भी एक संशोधन पेश किया जा रहा है ।

उन सभी सदस्यों को पेंशन मिलेगी जो 1952 से पहले संविधान सभा या अन्तरिम संसद् के सदस्य थे । फ़िर भी यह कहना उचित नहीं है कि पेंशन का उपबन्ध असाधारण है । मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा देश बहुत पीछे है । हमने यह उपबन्ध सबसे पीछे किया है । ब्रिटेन और अमरीका सहित अनेक देशों ने इसका उपबन्ध किया है ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपना संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सदन में व्याप्त वातावरण से यह स्पष्ट है कि यह विधेयक बिना कठिनाई के पास हो जायेगा । जिन देशों का मन्त्री महोदय ने उल्लेख किया है वे सभी अमीर देश हैं ।

हमें यह पता है कि इस सदन के अधिकांश भूतपूर्व सदस्यों की वित्तीय स्थिति अत्यन्त शोचनीय है । लेकिन देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि पेंशन की व्यवस्था करने वाला विधेयक नहीं लाया जाये तो बेहतर होगा ।

आपात स्थिति के दौरान जबकि परिस्थितियों से विवश होकर जिन लोगों को कई प्रकार से बहुत सी चीजों का त्याग करना पड़ा है वे लोग यह नहीं चाहेंगे कि संसद् सदस्य अपने लिए एक अतिरिक्त सुविधा के पक्ष में मत दें ।

मैं मन्त्री महोदय को यह बता देना चाहता हूं कि यदि यह विधेयक पास हो गया तो राज्य विधान सभाओं को ऐसा करने से नहीं रोक सकेंगे ।

अभी उल्लेख किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने की न्यूनतम अवधि पांच वर्ष होगी । लेकिन चौथी लोकसभा के सदस्यों का क्या होगा, क्योंकि यह तो एक वर्ष पहले ही भंग कर दी गई थी । इसमें उन सदस्यों का कोई दोष नहीं है । इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार वे इस सुविधा अर्थात् पेंशन से वंचित रह जायेंगे । अतः उन के लिए इस आशय का एक विशिष्ट खण्ड जोड़ कर कोई उपबन्ध करना चाहिए ।

मैं अपने दल की ओर से इस बात पर भी बल देना चाहता हूं कि भूतपूर्व संसद् सदस्यों को देश के स्वतन्त्रता सेनानियों की अपेक्षा ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए । स्वतन्त्रता सेनानियों को 200 पये प्रतिमास पेंशन दी जाती है । उन स्वतन्त्रता सेनानियों को जिनकी अन्य स्रोतों से आय 5000 रुपये प्रतिवर्ष है 200 रुपये भी नहीं मिलते हैं । अतः स्वतन्त्रता सेनानी यह महसूस करने लगेंगे कि उन्हें भूतपूर्व संसद् सदस्यों को दी जाने वाली पेंशन से भी कम पेंशन मिलती है । अतः हमने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि भूतपूर्व संसद सदस्यों को जिनकी वार्षिक आय 5000 रुपये या अधिक है उन्हें यह विशिष्ट पेंशन नहीं दी जानी चाहिए । अतः हमें ऐसी कुछ कार्यवाही नहीं करनी चाहिए जो हममें और जनता में गलतफ़हमी पैदा करे ।

श्री के० रघुरामैया : इस धारा पर व्यापक सहमति हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी कांग्रेसी सदस्य को नहीं बुलाऊंगा । दूसरे पक्ष के सदस्यों को भी वाद विवाद में भाग लेने दिया जायेगा ।

Prof. S. L. Saxena (Maharajganj): Sir, I oppose this Bill. It is true that in our country, the Members of Parliament are getting lesser salary than that

given to the M.Ps. in other countries. But still, we are satisfied with what we get. It is said that most of the M.Ps. are drawing pension in the capacity of freedom fighters. If this Bill is passed, they will say that while M.Ps. have provided for themselves an amount of Rs. 300 nothing substantial has been done for them. It is therefore, advisable to raise the pension of freedom fighters to Rs. 300 and also lay down that Members of Parliament will not be paid a salary of more than Rs. 300 per month. because they are already getting a handsome income.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं पेंशन की व्यवस्था करने वाले इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह गलत समय पर लाया गया है । यह कहा गया है कि लोग इसे पसन्द नहीं करेंगे लेकिन यदि लोग इसे पसन्द नहीं भी करेंगे तो भी वह इस बारे में खुल कर कुछ नहीं कह सकेंगे । क्योंकि देश में आपात-स्थिति का सामान्य वातावरण बना हुआ है । प्रेस पर भी सेंसर लगा हुआ है और इस बारे में वह कहना चाह कर भी कुछ नहीं कह सकते । अत: ऐसे समय में जबकि इस विधान के सम्बन्ध में जनता की प्रतिक्रिया का पता नहीं लग सकता हमें यह विधान नहीं लाना चाहिए । क्या यह बात हमें शोभा देती है और क्या यह उचित है कि हम अपने हितों का ध्यान रखते हुए अपने लिए विधान बनाते जाएं और अपने देशवासियों की उपेक्षा करें ?

अत: यह बहुत सुखद समय नहीं है । पहले ही हमारे संसदीय संस्थानों का दर्जा लोगों की नजरों में घट गया है और वह हमें पहले की भांति लोकतांत्रिक संस्थानों के माननीय सदस्यों के रूप में उतना आदर भी नहीं देते हैं । इस प्रकार का विधान पास करके क्या हम उनकी ऐसी भावनाओं को बढ़ावा नहीं देंगे ? क्या वह यह नहीं कहेंगे कि आपातस्थिति में संसद सदस्य अपने लिए तथा अपने भूतपूर्व सहयोगियों के हित में कानून बना रहे हैं और उन्हें बाकी जनता का खयाल नहीं है ? यह ठीक ही कहा गया है कि सरकार भूतपूर्व संसद सदस्यों को किस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों से ऊंचा दर्जा दे रही है । एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है कि यदि किसी संसद सदस्य की अन्य स्रोतों से कुछ निश्चित आय प्रति वर्ष है तो उसे इस प्रकार की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए । यह एक अच्छा प्रस्ताव है और सरकार को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए ।

जब हिमाचल प्रदेश ने 1972 में विधायकों को पेंशन देने के सम्बन्ध में एक विधान पास किया था उसी समय महाराष्ट्र विधान सभा भी इस पर विचार कर रही थी । लेकिन तब 1972 में जब प्रधान मंत्री का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया गया तो उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि ऐसी परिस्थिति में जबकि देश को बहुत बचत और मितोपभोग की आवश्यकता है, ऐसे कानून का समर्थन करना कठिन है । अत: 1973 और 1976 के बीच जो घटनाएं हुई हैं उन्हें देखते हुए संसद सदस्यों को दी जाने वाली इस किस्म के पेंशन के उपबन्ध का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता । मंत्री महोदय ने कई देशों के उदाहरण दिए हैं लेकिन उनमें से अधिकांश देश समृद्ध देश हैं : और वह इस प्रकार की पेंशन देने में समर्थ हैं । इसके अतिरिक्त मंत्री महोदय ने केवल आधे तथ्यों के बारे में उल्लेख किया है । उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि जिन देशों में पेंशन देने का उपबन्ध है वहां दो प्रकार की योजनाएं हैं । संसद के वर्तमान सदस्य एक विशिष्ट निधि में स्वेच्छा से अंशदान देते हैं और जब सदस्य नहीं रहते तब उन्हें उसका कुछ लाभ मिलता है । इसके अतिरिक्त कुछ बाहरी पेंशन की योजनाएं भी हैं । मंत्री महोदय ने यह भी नहीं बताया है, कि जिन देशों में संसद सदस्यों को पेंशन दी जाती है वह कम से कम दो कालावधियों अर्थात् 8 से 10 वर्ष तक संसद सदस्य रह चुके होते हैं इसके

अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण बात आयु सीमा के बारे में है जोकि पचपन और पेंसठ के ऊपर है । अतः एक संसद सदस्य जोकि दो अवधियों तक अर्थात 8 से 10 वर्ष तक संसद में जन प्रतिनिधि के रूप में रह चुका हैं और वह 55 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु का हो गया हो तो उस अवस्था में उसे पेंशन दी जा सकती है । अतः खाली यह कहना उचित नहीं है कि अन्य देशों में पेंशन दी जा रही है । अन्य देशों में उक्त बातों को ध्यान में रखकर पेंशन दी जाती है । खाली 4–5 वर्ष की एक अवधि तक के लिए संसद सदस्य बन जाने से वहां के प्रतिनिधि पेंशन के हकदार नहीं हो जाते । अतः इस सम्बन्ध में एक उचित उपबन्ध बनाया जाना चाहिए कि एक संसद सदस्य जो कम से कम 10 वर्ष तक संसद का सदस्य रह चुका है अथवा जो सदस्य 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है इसमें जो भी बात पहले हो उसे पेंशन दी जाएगी । भूतपूर्व संसद सदस्य को पेंशन दी जा रही है लेकिन वह यदि चौथी लोक सभा का 1967 और 1971 के बीच सदस्य रहा है, लेकिन इससे पहले रहा है तो उसे इस पेंशन के विशेषाधिकार से क्यों वंचित किया जा रहा है । जिस ढंग से यह पेंशन देने का विचार प्रस्तुत किया गया है मैं उसके बिल्कुल बिरुद्ध हूं । ऐसी स्थिति में तथा ऐसे समय इस प्रकार के विधान को लाना जबकि जनता की आलोचना के बारे में पता नहीं लग सकता, उपयुक्त नहीं है ।

श्री रघुरामैया जी ने उल्लेख किया है कि वर्तमान प्रथा के अनुसार नये निर्वाचित सदस्य को जब तक सदन में शपथ नहीं दिलाई जाती तब तक वह वेतन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । लेकिन कभी कभी तो कई सप्ताह तक सदन की बैठक नहीं होती है । तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए ? ऐसी स्थिति में हाउस आफ कामन्स की प्रथा ग्रहण करनी चाहिए । ज्यों ही सदस्य निर्वाचित घोषित किया जाता है तभी से वह वेतन प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है लेकिन उसे वेतन तभी मिलता है जब कि वह शपथ ग्रहण करता है पर निर्वाचित घोषित होने की तिथि से । एक सदस्य को वेतन यदि उस दिन से दिए जाने चाहिए जिस दिन वह सदन में शपथ ले । यदि चुने जाने के दिन से वेतन देना चाहते हैं तो कम से कम उसे वास्तविक वेतन उस दिन से मिलना चाहिए जिस दिन वह सदन में शपथ ले ।

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur): This Bill has created a peculiar situation, because we are playing the role of a petitioner and judge simultaneously in this matter. Therefore, it casts a special responsibility on the Members of Parliament. There are still many freedom fighters with a conviction of less than six months imprisonment, but they have not been provided with any pension so far. Therefore, serious thought has to be given as to how far it is fair to raise the question of pension for M.Ps. This kind of provision may be justified for those who have no source of income, such as, land or business, but a large number of members of Parliament are rich landlords, industrialists, businessmen and even than they will be paid this pension. So, serious thought should be given to this provision and the income tax payers or big landlords should be kept out of the purview of this provision.

This Bill has not been properly drafted, because the word 'Pension' as used by the bureaucratic machinery lowers down the dignity and prestige of a member of Parliament. Therefore, that word should be deleted and a better word, such as honorarium, should be substituted.

अध्यक्ष महोदय : अब सदस्य अपना भाषण मध्याह्न भोजन के बाद जारी करें ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 14·00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 14.03 बजे पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at three minutes past fouteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
[Mr. Deputy Speaker in the chair]]

Shri Ramavtar Shastri (Patna): The Statement of Objects and Reasons attached to this Bill says that provision is also being made entitling ex-members of Parliament to pension. But the Minister of Parliamentary Affairs had no right to say the other day that a Bill is being brought forth to provide pension to M.Ps. It is also stated by the Minister that this Bill has been brought here in the light of the recommendations made by the Joint Committee on Salaries and Allowances of Members of Parliament and that those recommendations are unanimous. We should have been told who are those members and which party they belonged to, so that people may know the actual position. The Minister has simply created misunderstanding in the public by calling it M.Ps. Pension Bill.

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजी कोड) : संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक का हम पूर्ण समर्थन करते हैं। संसद सदस्यों को पेंशन देने के सिद्धान्त पर सदन में सामान्यतः सभी एकमत हैं। इस सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी है और लोगों ने कहा है कि हम स्वयं अपने लिए इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। यह सही नहीं है। हम पेंशन की व्यवस्था उन संसद सदस्यों के लिए कर रहे हैं जोकि पहले ही सेवा निवृत्त हो चुके हैं। देश में सैंकड़ों ऐसे भूतपूर्व संसद सदस्य हैं जोकि आज बहुत कठिन परिस्थिति में हैं। अतः उन संसद सदस्यों को जो संसद के सदस्य नहीं रहे हैं और कठिन परस्थितियों में रह रहे हैं उन्हें पेंशन अवश्य दी जानी चाहिए। बहुत कम सदस्यों को इस योजना से लाभ होगा। 60 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश में केवल 2,211 सदस्य चूंकि कठिन परिस्थिति में हैं उन्हें पेंशन अवश्य दी जानी चाहिए।

यह भी कहा गया है कि स्वतन्त्रता सेनानियों को कम पेंशन दी जा रही है। निश्चय ही उन्हें अधिक पेंशन दी जानी चाहिए। यह भी कहा गया है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों को अन्य स्रोतों से 5000 रुपये प्रतिवर्ष की आय होती है उन्हें पेंशन नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा कहना ठीक नहीं है जिन स्वतंत्रता सेनानियों की अपनी कुछ आय है उन्हें भी यह पेंशन दी जानी चाहिए। अतः इन सभी दोषों का निराकरण किया जाना चाहिए।

यह भी कहा गया है कि चौथी लोक सभा के सदस्य इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते, क्योंकि उन्होंने संसद् सदस्य के रूप में चार वर्ष की अवधि पूरी नहीं की। लेकिन संसद् के विघटन में उनका क्या दोष है। चौथी लोक सभा के सदस्यों के मामले पर विचार किया जाये तथा उन्हें भी इस पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होना चाहिए कम से कम उन्हें एक प्रतिबंधित रेलवे पास दिया जाये, ताकि वह एक वर्ष में 20 से 25 हजार किलोमीटर तक यात्रा कर सकें। संसद् के सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए यह बहुत आवश्यक है।

श्री परिपूर्णानन्द पेन्यली टिहरी-गढवाल) : मंत्री महोदय हमें बतायें कि क्या वह इस विधेयक में उन संसद् सदस्यों अथवा भूतपूर्व संसद् सदस्यों, जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है और जो पेंशन नहीं लेना चाहते, के बारे में भी एक उपबन्ध करेंगे।

दूसरे क्या मंत्री महोदय रेलवे पास जारी करने के प्रश्न पर भी विचार करेंगे ? तीसरे जहां तक चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का सम्बन्ध है बहुत कम स्थानों पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्या अन्य मामलों की भांति सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं देने का प्रस्ताव है ?

अन्त में मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उन भूतपूर्व संसद् सदस्यों को, जोकि आय कर देते हैं पेंशन से वंचित किया जायेगा ?

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगांव) : जहां तक संसद् सदस्यों को प्राप्त होने वाली पेंशन का सम्बन्ध है मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन संसद् सदस्यों का निधन हो गया है क्या उनकी विधवाओं को यह पेंशन प्राप्त होगी ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या पेंशन पर कर लगाया जायेगा ? आयकर अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत पेंशन को वेतन के समान समझा जाता है। क्या इस राशि को आयकर से छूट दी जायेगी ? रेल यात्रा के बारे में आपका क्या विचार है। आप एक ऐसा उपबन्ध क्यों नहीं बनाते कि जो संसद् सदस्य रेल की प्रथम श्रेणी के किराये तथा विमान के किराये के अन्तर को अपनी ओर से देना चाहें वह विमान यात्रा करने के हकदार बना दिये जायें।

निर्माण, आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : यह कहा गया है कि हमारे देश के संसद् सदस्यों को विश्व के संसद् सदस्यों की तुलना में सबसे कम वेतन मिलता है। पर इस विधेयक को पास करने का यह उचित समय नहीं है और हमें अपने हित में इस प्रकार वोट नहीं देना चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि यदि हम अपने लिए वोट नहीं देंगे तो हमें वोट कौन देगा ?

लोग चाहते हैं कि संसद् सदस्यों का वेतन आदि अन्य लोगों की भांति समुचित होना चाहिए और उन्हें अपना कार्य क्षमतापूर्वक करना चाहिए। कई संसद् सदस्य बहुत निर्धन हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें अपना सब व्यवसाय छोड़ कर यहां आना होता है। जब तक संसद् सदस्य का वेतन पर्याप्त नहीं होगा तब तक वह किस तरह सम्मान के साथ जीवन बिता सकता है।

सभी भूतपूर्व संसद् सदस्य धनी नहीं हैं। कई भूतपूर्व संसद् सदस्य गरीब हैं और वह आयकर नहीं देते अतः यह कहना कि अधिकांश भूतपूर्व संसद् सदस्य जमींदार हैं या अमीर हैं--ठीक नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि जहां हम स्वतंत्रता सेनानियों को एक ओर 200 रुपये प्रति माह पेंशन दे रहे हैं वहां दूसरी ओर भूतपूर्व संसद् सदस्यों को 500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जायेगी। हमें इस प्रकार की तुलना नहीं करनी चाहिए। जहां एक ओर स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु उपरांत भी इनको मिलने वाली पेंशन उनकी विधवा पत्नी अथवा अविवाहित पुत्री को मिलती रहेगी। लेकिन संसद् सदस्यों को मिलने वाली पेंशन के बारे में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। अतः हमें इन दोनों में तुलना नहीं करनी चाहिए। दोनों बिल्कुल भिन्न हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने चौथी लोकसभा के संस ् सदस्यों के बारे में पूछा है । हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है चूंकि उनके समय में लोकसभा भंग हो गई थी इसलिए वे अपनी कार्यावधि पूरी न कर सके । लेकिन हमें कहीं न कहीं कोई सीमा तो रखनी ही है । स्वतन्त्रता सेनानियों के मामले में भी पेंशन हमने उन्हीं सेनानियों को दी है जिन्होंने छह महीने का कारावास दण्ड भोगा है और जिस व्यक्ति ने तीन महीने का कारावास दण्ड भोगा है वह इस पेंशन का हकदार नहीं अत: कहीं न कहीं तो सीमा हमें रखनी ही है । अगर मान लो 2000 इस्वी में संसद् दो दिन के बाद विघटित हो जाती है तब क्या होगा तब भी क्या यह पेंशन उन्हें जीवन पर्यन्त देनी पड़ेगी ।

यह भी कहा गया है कि उन स्वतन्त्रता सेनानियों को जिनकी अन्य स्रोतों से आय 5000 रुपये अथवा उससे अधिक प्रतिवर्ष है उस पर प्रतिबन्ध है मैं स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहा । लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि आय हमेशा घटती बढ़ती रहती है । एक साल यह 10,000 हो सकती है तो अगले वर्ष शून्य भी हो सकती है । फिर कृषि आय का पता लगाना तो और भी कठिन है ।

श्री साल्वे ने कहा है कि जो संसद् सदस्य रेल की प्रथम श्रेणी के किराए तथा विमान किराए के बीच का अन्तर अपनी जेब से देकर विमान में यात्रा करना चाहें उन्हें यह सुविधा प्रदान करनी चाहिए । जब चौथी लोकसभा में ऐसा उपबन्ध करने का प्रस्ताव किया गया तो माननीय सदस्यों ने इसके विरुद्ध राय दी । अत: ऐसे परिवर्तन के सम्बन्ध में मुझे नोटिस दिया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री अपने संशोधन पर बल नहीं देना चाहते ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपना संशोधन वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं ।

सभा की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया ।

The amendment was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम खण्डवार विचार करेंगे । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 35 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत आ।

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

श्री के० रघुरामैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 1

खण्ड 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

4. **Amendment of section 2.**—In section 2 of the principal Act, for sub-clause (b) of clause (e), following sub-clause shall be substituted, namely:—

'(b) in relation to a new member,—

(i) where such new member is a member of the Council of States elected in a biennial election, or nominated, to that House, the period beginning with the date of publication of the notification in the official Gazette notifying his name under section 71 of the Representation of the People Act, 1951; or

43 of 1951.

(ii) where such new member is a member of the House of the People ..elected in a general election held for the purpose of constituting a new House of the People, the period beginning with the date of publication of the notification of the Election Commission under section 73 of the said Act; or

(iii) where such new member is a member of either House of Parliament elected in a bye-election to that House or a member nominated to the House of the People, the period beginning with the date of his election referred to in section 67A of the said Act or, as the case may be, the date of his nomination,

and ending with in each such case, the date on which his seat becomes vacant."

4. **धारा 2 का संशोधन.**—(मूल अधिनियम की धारा 2 में खण्ड (ग) के उपखण्ड ख में निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाए यथा :—

(ख) नए सदस्य के सम्बन्ध में

(एक) ऐसा सदस्य जो कि राज्य सभा में द्विवार्षिक चुनावों में निर्वाचित होकर आया है अथवा नाम-निर्देशित किया गया जिस अवधि से उसकी सदस्यता आरम्भ होती है

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 71 के अन्तर्गत उसका नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि से अथवा

(दो) ऐसा सदस्य जो कि नई लोक सभा बनाने के उद्देश्य से कराए गए आम चुनावों में निर्वाचित होकर आया है जिस अवधि से उसकी सदस्यता आरम्भ होती है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 73 के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र जारी किए जाने की तिथि से, अथवा

(तीन) ऐसा नया सदस्य जो कि किसी भी सदन का सदस्य उपचुनावों में निर्वाचित हुआ है अथवा लोक सभा में नाम निर्देशित सदस्य के रूप में आया है उक्त अधिनियम की धारा 67क में उल्लिखित निर्वाचन की तिथि से अथवा जैसा भी मामला हो नाम-निर्देशन की तिथि से; तथा प्रत्येक ऐसे मामले में उसकी सदस्यता उस तिथि से समाप्त समझी जाएगी जिस दिन से उसकी सीट रिक्त हुई है) ।

(संशोधन संख्या 42)

(श्री के० रघुरामैया)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 5

उपाध्यक्ष महोदय : कई संशोधनों के लिए सूचनाएं दी गई हैं । श्री एस० एन० सिंह, श्री त ण उराऊ और श्री रामकृष्ण रेड्डी अपनी संशोधन संख्या क्रमशः 3, 4 और 5 प्रस्तुत नहीं कर रहे ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna): My amendment is very ordinary one. I just want that we should be allowed to utilise the concession between the sessions also.

श्री के० रघुरामैया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बता चुका कि किन परिस्थितियों में यह रियायत प्रदान की जा रही है इस रियायत को देने का उद्देश्य यह है कि जो संसद् सदस्य भारत के दूर-दराज क्षेत्रों जैसे पूर्व इत्यादि से आते हैं वह लम्बे सत्रों के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर वापिस आ सकें और यदि आप दो सत्रों के बीच इस सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं तो यह एक नितान्त भिन्न मामला है । यह विषय वर्तमान विधेयक के क्षेत्राधिकार में नहीं आता ।

उपाध्यक्ष : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री का संशोधन मतदान के लिए रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill.

Shri D. N. Tiwari: My amendment is very simple. Those members who do not have sponse should be allowed to bring one of their family member on that pass. The Government does not have to incure any extra expenditure on it. All the members should be provided with this facility.

श्री के० रघुरामैया : माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया है । यह विधेयक का अंग नहीं है । मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है जो कुछ सुविधा उन्हें प्रदान की जा रही है उसे वह स्वीकार करें ।

उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य का संशोधन मतदान के लिए रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

Shri Jambhuwant Dhote (Nagpur): Mr. Deputy Speaker, through this Bill provision is being made to grant pension to members of Parliament. In my amendment I have suggested that the rail and air concession facilities that are being Provided to the present members should continue when thy cease to be a member of the House.

श्री के० रघुरामैया : मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय -प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7

श्री के० रघुरामैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 2—

पंक्ति 34 से 42 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"to every person who has served for a period of five years, whether continuous or not,—

(i) as a member of the Council of States; or

(ii) as a member of the House of the People; or

(iii) partly as a member of the Council of States and partly as a member of the House of the People; or

(iv) as a member of the Provisional Parliament; or

(v) partly as a member of the Provisional Parliament and—"

("प्रत्येक व्यक्ति को जिसने पांच वर्ष की अवधि के लिए लगातार अथवा अन्यथा कार्य किया हो,—

(एक) राज्य सभा के सदस्य के रूप में ; या

(दो) लोकसभा के सदस्य के रूप में ; या

(तीन) भागतः राज्य सभा के सदस्य के रूप में ; या

(चार) अन्तरिम संसद् के सदस्य के रूप में; या

(पांच) भागतः अन्तरिम संसद् के सदस्य के रूप में) ।

(संशोधन संख्या 1)

(श्री के० रघुरामैया)

पृष्ठ 2—

पंक्ति 51 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए ।

'*Explanation*—For the purposes of clauses (iv) and (v) of sub-section (1), "Provisional Parliament" shall include, the body which functioned as the Constituent Assembly of the Dominion of India immediately before the commencement of the Constituion."

[(2) "**स्पष्टीकरण**—उप धारा (1) के खण्ड (चार) और (पांच) के प्रयोजनों के लिए अन्तरिम संसद् में वह निकाय शामिल है जो संविधान के प्रारम्भ के ठीक पूर्व भारत डोमीनियन की संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी "]

(संशोधन संख्या 2)

(श्री के० रघुरामैया)

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख (परिमणि) : मैं संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : मैं संशोधन संख्या 31 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं संशोधन संख्या 32, 33 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जाम्बुवन्त धोटे (नागपुर) : मैं संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री के० रघुरामैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 3

पंक्ति 41 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए

"(4) In computing the number of years, for the purposes of sub-section (1), the period during which a person has served as a Minister as defined
58 of 1952. in the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 or an Officer of Parliament as defined in the Salaries and Allowances of Officers of
20 of 1953. Parliament Act, 1953 (other than the Chairman of the Council of States), or both, by virtue of his membership in the House of the People or in the Council of States shall also be taken into account"

पृष्ठ 3—

(पंक्ति 41 के **बाद** निम्नलिखित **अन्त:स्थापित** किया जाए, अर्थात :—

"(4) उपधारा (1) के उद्देश्यों के लिए (43) वर्षों की संख्या की गणना में
1952 का 58 । (1) वह अवधि, जिसने मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 में परिभाषित मन्त्री या संसद के अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम,
1953 का 20 । 1953 में परिभाषित अधिकारी के रूप में (राज्य सभा के सभापति को छोड़कर) या लोक सभा अथवा राज्य सभा की अपनी सदस्यता के आधार पर दोनों के रूप में कार्य किया हो, भी शामिल की जायेगी ।

(संशोधन संख्या 43)

(श्री के० रघुरामैया)

श्री रघुरामैया ने गलत तुलना की है । यह बात निश्चित है कि इस सदन के अधिकांश सदस्य स्वतन्त्रता सेनानी हैं ।

एक माननीय सदस्य : अधिकांश नहीं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्हें 200 रुपये प्रतिमास दिया जाता आ रहा है । राज्य सरकारें 100 रुपये प्रतिमास देती आयी हैं और मेरे विचार में यह राशि बढ़ा कर अब 200 रुपये कर दी गयी है । मेरा दल इस बात का नहीं मानता कि जीवन भर स्वतन्त्रता संग्राम में लगे एक स्वतन्त्रता सेनानी को तो केवल 200 रुपये दिये जायें जबकि संसद् सदस्य को पांच वर्ष तक सदस्य रहने के लिये 300 और 350 रुपये दिये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसका उत्तर दे चुके हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : एक संशोधन यह भी है कि 5000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक आय वाले को पेंशन न दी जाये । मंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिये ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): The Hon. Minister has done a commendable job by bringing forward this Bill. I, however, feel that the Hon. Minister has not paid any attention towards some of our problems.

My amendment seeks to extend C.G.H.S. facility to every part of the country including Bihar. Railway passes should also be provided to the Ex-MPs. The Hon. Minister should consider this amendment.

Shri Ramavtar Shastri (Patna): According to my amendment all those whose annual income exceeds Rs. 5000 should not be given pension.

Freedom fighters are getting pension at the rate of Rs. 200 per month and Government agreed to pay this pension after 25 years. I am also a freedom fighter and getting this pension. It is strange that freedom fighters should get Rs. 200 per monh only whereas Ex-MPs. may be gettinig at the rate of Rs. 300 to 500 per month.

उपाध्यक्ष महोदय : स्वतन्त्रता सेनानी सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय दे चुके हैं। अब इसे दोहराइये नहीं।

Shri Ramavatar Shastri: My amendment is the same. I say that it will not create good impression on freedom fighters.

The question of raising the pension of freedom fighters was raised many a times that the Government has always opposed such a move. I only say that pension should not be given to those who come from rich families and the rate of pension to the freedom fighters should be raised.

Shri M. C. Daga (Pali): My amendment seews to provide pension to the surviving wife of an MP after hi sdeath because he spends all of his time in the service of the country.

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख (परमणि) : सरकार को उन सदस्यों को पेंशन के लाभ से वंचित नहीं करना चाहिये जो पांच साल की अवधि से पहिले ही लोक सभा भंग किये जाने के कारण पांच साल की एक पूरी अवधि पूरी नहीं कर सके। मेरे संशोधन का उद्देश्य यही है कि लोक सभा के समय से पहले भंग होने के फलस्वरूप उस अवधि के लिये निर्वाचित सदस्यों को पेंशन से वंचित न किया जाये। चूंकि मेरा संशोधन विशेष रूप से चौथी लोकसभा के लिये है, अतः इसे स्वीकार किया जाये।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : मेरा संशोधन विधेयक के मसौदे की त्रुटि से सम्बन्धित है। इस विधेयक के उपबन्ध के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति ने संसद् सदस्य के रूप में एक पूरी अवधि काम कर लिया हो और वह मन्त्री बन गया हो तो वह वेतन तथा पेंशन, दोनों का अधिकारी होगा। इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो मन्त्री बन गया हो किन्तु किसी भी सभा का सदस्य न रहा हो क्योंकि वह 6 महीनों के लिये मन्त्री बन सकता है। ऐसे मामले में क्या उसे पेंशन तथा वेतन दोनों ही मिलेंगे ?

Shri Jambhuwant Dhote (Nagpur): My amendment seeks to provide Rs. 500 per month to a Member of Parliament as honour whatever the term of his membership may be. I am using the word 'as honour' not as pension.

The MPs who are Income-tax payers, Rajas and Industrialists should not be given this honour. The MPs while taking the oath should also pledge that they will do away with their movable or immovable property thereafter. We should have a classless outlook and adopt this amendment.

श्री के० रघुरामैया : श्री गोस्वामी ने आशंका व्यक्त की है कि मन्त्री को वेतन तथा पेंशन दोनों ही मिलेंगी। सरकार मन्त्री को दोनों चीजें नहीं देगी।

जहां तक चिकित्सा सुविधाओं का सम्बन्ध है, स्वास्थ्य मन्त्रालय ने पहले ही एक परिपत्र जारी किया है कि केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा की सुविधायें भूतपूर्व संसद् सदस्यों को भी उपलब्ध होंगी यदि वे उन स्थानों पर हों जहां जहां यह सेवा उपलब्ध है।

यह बात भी कही गई है कि कि भूतपूर्व संसद् सदस्यों की विधवाओं को यह पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। यह नया विचार है और वास्तव में यह कुटुम्ब पेंशन है। संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति ने कुटुम्ब पेंशन के बारे में कोई सिफारिश नहीं की है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मैं श्री के० रघुरामैया के संशोधन संख्या 1, 2 और 43 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2—

पंक्ति 34 से 42 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

"to every person who has served for a period of five years, whether continuous or not,—

(i) as a member of the council of States; or

(ii) as a member of the House of the People; or

(iii) partly as a member of the Council of States and partly as a member of the House of the people; or

(iv) as a member of the Provisional Parliament; or

(v) partly as a member of the Provisional Parliament....."

("प्रत्येक व्यक्ति को जिसने पांच वर्ष की अवधि के लिये लगातार अथवा अन्यथा कार्य किया हो,—

(एक) राज्य सभा के सदस्य के रूप में; या

(दो) लोक सभा के सदस्य के रूप में; या

(तीन) भागत: राज्य सभा के सदस्य के रूप में और भागत: लोक सभा के सदस्य के रूप में; या

(चार) अन्तरिम संसद् के सदस्य के रूप में; या

(पांच) भागत: अन्तरिम ससद् क सदस्य क रूप में और—")

(संशोधन संख्या 1)

(श्री के० रघुरामैया)

पृष्ठ 2—

पंक्ति 51 के बाद निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"*Explanation*—For purposes of clauses (iv) and (v) of sub-section (1) "Provisional Parliament" shall include the body which functioned as the constituent

Assembly of the Dominion of India immediately before the commencement of the Constitution."

("स्पष्टीकरण—उपधारा (1) के खण्ड (चार) और (पांच) के प्रयोजनों के लिये अन्तरिम संसद् में वह निकाय शामिल है जो संविधान के प्रारम्भ के ठीक पूर्व भारत डोमिनियन की संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी।")

(संशोधन संख्या 2)
(श्री के० रघुरामैया)

पृष्ठ 3—

पंक्ति 41 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए।

(43) "(4) In computing the number of years, for purposes of sub-section (1), the period during which a person has served as a Minister as defined in the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 or an officer of Parliament as defined in the Salaries and Allowances of officers of Parliament Act, 1953 (other than chairman of the Council of States) or both; by virtue of his membership in the House of the People or in the Council of States shall also be taken into account." 58 of 1952. 20 of 1953.

(43) "(4) उपधारा (1) के उद्देश्यों के लिये वर्षों की संख्या की गणना में (1) वह अवधि, जिसने मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 में परिभाषित मंत्री के रूप में या संसद् अधिकारी वेतन तथा भत्ते अधिनियम 1953 में परिभाषित संसद् अधिकारी के रूप में (राज्य सभा के सभापति को छोड़ कर) या लोक सभा अथवा राज्य सभा की अपनी सदस्यता के आधार पर, दोनों के रूप में कार्य किया हो, भी शामिल की जायेगी"। 1952 का 58 1953 का 20

(संशोधन संख्या 43)
(श्री के० रघुरामैया)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री विभूति मिश्र का संशोधन संख्या 10 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

श्री विभूति मिश्र : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा की अनुमति है?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री रामावतार शास्त्री के संशोधन संख्या 17 और 18 सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा ।

श्री मल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डी० सी० गोस्वामी ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मंत्री महोदय के उत्तर को देखते हुए, मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री इन्द्रजीत गुप्त का संशोधन संख्या 32 सभा के मतदान क लिये रखा गया । सभा में मतदान हुआ । पक्ष में 17, विपक्ष में 171 ।

The amendment No. 32 was put. The Lok Sabha divided Ayes 17, Noes 171

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 33 और 37 सभा क मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 7, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 7, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 7, as amended, was added to the Bill

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गये ।

Clause 1, the Enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री के० रघुरामैया : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पास किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

गुजरात राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उदघोषणा को लागू रखने के बारे में सांविधिक संकल्प—जारी

STATUTORY RESOLUTION RE: CONTINUANCE OF PROCLAMATION IN RELATION TO GUJARAT—*contd.*

श्री नटवरलाल पटेल (मेहसाना) : मैं गुजरात में राष्ट्रपति का शासन जारी रखने सम्बन्धी गृह मन्त्री के संकल्प का अनुमोदन करता हूं। गुजरात में राष्ट्रपति का शासन लागू करने से पहले जनता मोर्चा की सरकार थी। जनता मोर्चे की सरकार के शासन के दौरान वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी और वहां का प्रशासन पूर्ण रूप से अस्त-व्यस्त हो गया था। वहां की सरकार थोड़े समय तक सत्ता में रही। उस अवधि के अन्दर उसने जनता की भलाई के लिये कोई कार्य नहीं किया अपितु जनसंघ तथा अन्य फ़ासिस्टवादी लोगों के आदेशानुसार कार्य किया। उन्होंने राज्य की विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने की कोई कोशिश नहीं की। सरकार अपना कर्तव्य निभाने में पूरी तरह असफल रही। अतः वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था।

{श्री वसंत साठे पीठासीन हुए।}
{Shri Vasant Sathe *in the chair*}

यह सर्वविदित है कि गुजरात में राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लागू किया गया था तथा उस समय वहां क्या हालत थी। राष्ट्रपति लागू होने के बाद अब वहां हर चीज़ सुव्यवस्थित हो गई है। जनता ने 20 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का भरसक प्रयत्न किया है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पूरी तरह नियन्त्रणाधीन हैं। वहां के कमजोर वर्गों को बड़ी राहत मिली है।

जहां तक राष्ट्रपति के शासन का प्रश्न है, कुछ माननीय सदस्य कहेंगे कि राष्ट्रपति के शासन की अवधि क्यों बढ़ाई जा रही है। हम भी गुजरात में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। कांग्रेस दल किसी भी लोकप्रिय सरकार के विरुद्ध नहीं हैं। गुजरात के लोग भी चाहते हैं कि वहां लोकप्रिय सरकार की स्थापना हो। वे वहां स्थिर तथा ईमानदार सरकार चाहते हैं। जैसे ही स्थिति में सुधार होगा, हमारा दल लोकप्रिय तथा स्थिर सरकार की स्थापना करेगा। अतः मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : महोदय, ऐसे समय जबकि लोग गुजरात में लोकतन्त्रात्मक सरकार की आस लगाये बैठे हैं, राष्ट्रपति शासन की अवधि छः महीने के लिये और बढ़ाना सर्वथा अनुचित है। मैं यह नहीं कहता कि गुजरात में कांग्रेस का बहुमत नहीं है। उसने दलबदल करा कर बहुमत प्राप्त कर लिया है। अतः वह सरकार बना सकती है। सत्ताधारी दल केवल गुजरात में अपितु समूचे देश में दलबदल को प्रोत्साहन दे रहा है। दल बदल इस ढंग से कराया जा रहा है कि लोग इस बात को भुला देने को मजबूर हो गये हैं कि दल बदल एक अपराध है।

महोदय, मैं यह कहने का साहस करता हूं कि गुजरात में कांग्रेस दल का शासन नहीं है। वास्तव में वहां पुरानी कांग्रेस और जनसंघ का शासन है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने निर्णय किया था तथा प्रधान मन्त्री ने घोषणा की थी कि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिये सब को भाग लेना आवश्यक है। कांग्रेस दल को राज्य अथवा जिला स्तर पर कार्यान्वयन समितियों में नहीं रखा गया है। कार्यान्वयन समिति में वे ही लोग हैं, जो भूतपूर्व प्रशासन में जिला पंचायत के मुखिया अथवा जिला मुखिया थे।

जहां तथा न्यूनतम मजदूरी तथा बन्धित श्रम पद्धति आदि का सम्बन्ध में, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि गुजरात में न्यूनतम मजदूरी के उपबन्धों को लागू नहीं किया जा रहा है। वहां अब भी पुराने ढर्रे पर काम चल रहा है। बन्धित श्रमिकों के सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं। वहां बन्धित श्रमिकों को 'साथी' कहा जाता है और यह पद्धति ज्यों की त्यों जारी है।

बटाईदारों की स्थिति भी बहुत दयनीय है। उन्हें 'भगिया' कहा जाता है। इन्हें एक वर्ष के बन्धित श्रम के बदले उत्पादन का छठा भाग दिया जाता है। यह केन्द्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है। उन का छठा भाग तो खेती पर ही खर्च हो जाता है तथा इस प्रकार एक वर्ष के परिश्रम के बाद उन्हें एक नया पैसा भी नहीं मिलता।

भूतपूर्व सरकार के शासन के दौरान पंचायतों तथा अन्य संस्थाओं के लिये जो चुनाव किये गये थे, व 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम तथा प्रधान मन्त्री के विरुद्ध थे। ये पुराने तन्त्र वहां उसी तरह कार्य कर रहे हैं। यह कहना सही नहीं है कि वहां 20 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। वस्तुतः यह कहना कि वहां 20 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है स्वयं को और देश को गुमराह करना है। केन्द्रीय नेता चाहे जो कहते रहे, वहां होता वही है जो स्थानीय नेता चाहते हैं और वे 20 सूत्री कार्यक्रम में रुचि नहीं ले रहे हैं। जनता 20 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करना चाहती है, परन्तु विवश हैं। अतः यदि सरकार चाहती है कि 20 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाये तो विधान सभा को भंग कर दिया जाना चाहिए और नये चुनाव होने चाहिएं। परन्तु उससे पूर्व यह आवश्यक है कि राज्य, जिला, ताल्लुक तथा ग्राम्य स्तर पर कांग्रेस पार्टी, साम्यवादी पार्टी तथा अन्य प्रजातान्त्रिक तत्वों को, जो 20 सूत्री कार्यक्रम में विश्वास रखते हैं, उक्त कार्यक्रम की क्रियान्विति से सम्बद्ध किया जाये। इसके बिना वर्तमान परिस्थिति में निर्बाध चुनाव नहीं हो सकते।

Shri Hari Singh (Khurja): This is the third time that President's rule has been imposed in Gujarat. The President's rule was imposed in the state as the Administration had collapsed and Janta Front Government was busy in corruption and nepotism. The 20-point programme was not being implemented. During the Janta Front regime various panels were formed wherein their relatives and friends were absorbed. These people used to take money for that.

After the imposition of President's rule, a number of popular committees have been formed at mohalla as well as village level. Thus there has been involvement of the people at all levels.

In the Plan for the year 1976-77, two third expenditure is being incurred on the implementation of 20-point programme. That has given a new life to the State. Poor people have been allocated land and occupancy right has been conferred upon them. Over 5000 cancelled tenancies have been detected.

There is tension between the big Zamindars and landless labourers. The hon. Minister should give due attention towards this.

Earlier, there had been food crisis in the State. The Government encouraged the farmers to raise production. Consequently, the production targets were exceeded.

The Resolution for the extension of President's rule in Gujarat is welcome and it is for the betterment of the people.

Shri Jambhuwant Dhote (Nagpur): While moving the resolution for extension of President's rule in Gujarat. The Home Minister has praised the achievements of the President's rule in the State and said that there is speedy implementation of 20-point programme in the State. If the President's rule is really proving to be so good for the State. Why not impose it in all the States? The Government imposed President's rule in Gujarat and Tamilnadu but it was not imposed in Bihar although it was much needed there.

When the ruling Party is so powerful, the opposition parties cannot remove it. But the ruling Party is busy in breaking itself. The process has already begun. But this is not in the interest of the country. The elements who suggest to the Prime Minister that the Government should be removed in this manner do not do any service to the country or to their own leader.

The President's rule means the rule of bureaucracy. Does the Home Minister want that Gujarat should continue to remain in the grip of bureaucracy for an indefinite period?

It is the responsibility of the ruling party to run parliamentary democracy in the country. Unfortunately, this is not happening. The present situation is one of the bull before a storm. Instead of self-retrospection, everybody is busy in showing praises on the leader such a situation has always resulted in alienation of true friends and gathering around of flatterers ending in a collapse. This is going to be the end of the present situation.

The 20-point economic programme is meant for amelionating the lot of the down trodden and the people who had been exploited for centuries. If the President's rule has the capacity to implement this programme with full force, then the entire country should be brought under President's rule.

Shri Arvind M. Patel (Rajkot): I support the Resolution aiming at the extension of President's rule in Gujarat. The condition of the State is somewhat different from other states. Before the President's rule was imposed in Gujarat, the rule of the opposition parties had done a great harm to the people of Gujarat. The State had become a heaven for anti-social elements. After the imposition of the President's rule the Administration has been toned up and the implementation of the 20-point programme is going on vigorously.

There are elements in Gujarat which even now want to create instability there. The Government should keep a strict watch on these elements and deal strictly with them.

Popular Government should be restored in Gujarat at an opportune time. Anti-social elements should not be allowed to flourish and exploit the situation. I welcome the Resolution to extend the Prsident's rule in Gujarat.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं । गृह मंत्री ने अपने भाषण में यह स्पष्ट नहीं किया कि गुजरात में राष्ट्रपति शासन की अवधि क्यों बढ़ाई जा रही है । उन्होंने बताया है कि गुजरात में राजनीतिक स्थिति अभी भी स्थिर नहीं हुई है । इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है । क्या इस देश में स्थिरता का अभिप्राय है कांग्रेस दल का स्थाई शासन लागू करने से है ? मई 4, 1960 से लेकर अबतक गुजरात में किसका शासन रहा है ? 8-9 महीनों के जनता मोर्चे के शासन को छोड़कर शेष समय कांग्रेस का शासन ही रहा है । पहले अविभाजित कांग्रेस का शासन रहा और उसके बाद कांग्रेस विभाजित हो गई तथा श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस का शासन रहा । यह कहना अधिक संगत है कि कांग्रेस दल अपने ही झगडों को नहीं निपटा पाया है कि मुख्य मंत्री किस को बनाया जाये तथा मंत्री पदों पर किन को आसीन किया जाए । इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का निर्णय किया है ।

श्री नटवरलाल पटेल ने अपने भाषण में मेरे निर्वाचन के बारे में उल्लेख किया है । ऐसा करने में उनका अभिप्राय क्या है ? श्री पटेल संगठन कांग्रेस के टिकट पर 1971 में चुने गए थे । बाद में उन्होंने अपना दल त्याग दिया तथा कांग्रेस में शामिल हो गए ।

1972 में हुए उप चुनाव में मैंने अपना नामांकन पत्र सर्वथा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया । कई विरोधी पार्टियों तथा कई कांग्रेसी व्यक्तियों ने मेरा समर्थन किया । मैं जनता मोर्चे का सदस्य नहीं हूं । कांग्रेस पार्टी यह निर्णय नहीं कर पाई कि क्या श्री माधव सिंह सोलंकी गुजरात के मुख्य मंत्री बने अथवा श्री हितेन्द्र देसाई मुख्य मंत्री बनें (व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : आप कैसे जानते हैं ?

श्री पी० जी० मावलंकर : इस बारे में रिपोर्ट इण्डियन एक्सप्रेस में छपी थी इन बातों के कारण गुजरात की जनता को हानि उठानी पड़ी । राज्य में कांग्रेस दल का स्पष्ट बहुमत होते हुए राष्ट्रपति शासन जारी करने के लिए कौन उत्तरदायी है ? मुझे अफसोस है कि गुजरात विधान सभा के तीन कांग्रेसी सदस्यों का देहांत हो गया है । अब वहां केवल 178 सदस्य हैं । कुछ दिन पहल श्री हीतेन्द्र देसाई ने संवाददाताओं को बताया था कांग्रेस की सदस्य संख्या 106 हो गई है । यदि संख्या इतनी बढ़ गई है और विपक्षी दलों की सदस्य संख्या तो और भी कम रह गई है क्योंकि 20-24 तक उसके विधायक मीसा के अन्तर्गत बंद है, तो कांग्रेस वहां सरकार क्यों नहीं बना लेती । समाचार पत्र भी सरकार के आज्ञाकारी हैं, आकाशवाणी भी उनके गीत गा रही है । अब सरकार बनाने में क्यों देर की जा रही । राजनीतिक दिवालियेपन का इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है ? संविधान को दलगत हितों के लिए तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है । सरकार राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के उपबंध का प्रयोग प्रक्रियात्मक उपाय के रूप में कर रही है । जब उनकी स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी तो वे सरकार बना लेंगे । इससे कांग्रेस की साख नहीं बढ़ी है ।

[श्री पी० जी० मावलंकर]

अब राष्ट्रपति शासन की अवधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जा रहा है। इस अवधि में गुजरात विधान सभा की संसद् सदस्यों की सलाहकार समिति की अधिकाधिक बैठकें होनी चाहिएं। पिछले छः महीने में केवल एक बैठक ही आयोजित की गई है। दुर्भाग्य से गुजरात में स्थिरता नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि राष्ट्रपति शासन सदैव ही बुरा होता है। लेकिन यदि इसे बार-बार लागू किया जाए तो इसमें अनेक बुराइयां घर कर लेती हैं।

राज्यपाल श्री विश्वनाथन् ने कई अच्छे काम भी किए हैं। फिर भी राष्ट्रपति शासन चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, आत्म शासन से अच्छा नहीं हो सकता।

गुजरात राज्य 1 मई, 1960 को बनाया गया था। उसके बाद से वहां छः मुख्य मंत्री हो चुके हैं। सभी अच्छे व्यक्ति होने के बावजूद गुजरात के लोगों को लगातार 5 वर्ष तक लोकप्रिय सरकार प्राप्त न हो सकी।

गुजरात के लोग बल्कि समूचे देश के लोग साहसी, उच्च परम्परा वाले, योग्य और सेवाप्रिय हैं। हमारे पास संसाधन हैं पर हम पिछड़े हुए भी हैं। गुजरात में सभी अमीर भी नहीं हैं। गुजरात में यदि इतनी बातें अच्छी हैं तो वहां के लोगों को स्थिर, अच्छी लोकप्रिय और सुदृढ़ सरकार भी मिलनी चाहिए।

Shri M. C. Daga (Pali): It has been alleged that we want to destroy the democratic values. But Morcha Government was there in Gujarat for 9 months and it was dethroned afterwards. Who was responsible for their fall. I can only blame their sins. It was because Janta Morcha and its members were dishonest and without spirit of service.

The Central Government had no alternative other than to impose President's rule in Gujarat when the Governor sent a report to the President under Article 356 of the Constitution that the Government could not function there.

The Congress can form the Government at any time but we have extended the President's rule for 6 more months so that any party may muster the required majority and form a democratic Government. We very much respect the democratic values.

श्री पोपटलाल एम० जोशी (बनासकांठा) कांग्रेस दल शक्ति का भूखा नहीं है। यदि शक्ति की ही भूख होती तो हम गुजरात में कभी भी सरकार बना लेते। इसलिए हमें इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए।

गुजरात में कुछ मौलिक बातों पर विचार करना है। गुजरात में हुए गत चुनावों के फलस्वरूप वहां जनता मोर्चा सरकार बनी जो कई ताकतों या दलों से मिल कर बनी थी। उस सरकार के बनने के समय ही वहां मतभेद पैदा हो गए थे जिसके कारण जनता मोर्चा सरकार का बुरी तरह पतन हो गया। पर आरोप हम पर लगाया जाता है कि हमने यह कार्य किया है। यदि कांग्रेस दल ऐसा करता तो हम मोर्चा सरकार को वहां बनने ही नहीं देते।

जनता मोर्चा सरकार के शक्ति में आने के बाद समूचे गुजरात में चुनाव हुए और एक या दो जिलों को छोड़ कर बाकी सभी में कांग्रेस की जीत हुई। आज सारी जिला पंचायतों के चुनाव भी कांग्रेस के पक्ष में हैं और वहां 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। लगभग 3 लाख भूमि के प्लाट निर्धन तथा बेघर-बार लोगों को दिए जा चुके हैं और कुछ ही वर्षों में उनके लिए मकान भी बनाए जाएंगे। यदि हमें सत्ता की ही भूख होती तो कौन हमें सरकार बनाने से रोक सकता था।

खुद जनता मोर्चे की सरकार के दौरान हिंसात्मक कार्यवाहियों की कमी नहीं रही। बड़ौदा डायनामाइट केस हमारे सामने है। अब तो जनता मोर्चे को डर पैदा हो गया है कि उनके पांव के नीचे से जमीन निकल रही है। यदि राज्यपाल के राज में सारी समस्याएं उलझ रही हैं और 20+4 सूत्री कार्यक्रम लागू हो रहे हैं तो वहां 6 महीने के लिए इस शासन को बनाए रखने में क्या बुराई है।

Shri Ishaque Sambhali (Amroha): Sir, I want to congratulate the Ministry of Home Affairs and Shrimati Indira Gandhi for not forming the Government in Gujarat. In this way they have disappointed all the defectors. But on the one hand you have brought forward an anti-defectors bill and on the other big welcome is being accorded to the defectors in Gujarat. It is perhaps due to the influence and the dominating control by the big Capitalists over the politics of Gujarat. These elements want early formation of Government consisting of defectors so that they could again indulge in corrupt practices.

In Gujarat the Stockists and hoarders have hoarded large stocks of groundnut oil as a result of which the prices of oil have again shot up. We would like to know the members of hoarders and blackmarketeers held under MISA in Gujarat during the President's rule. May I know whether Government have initiated any action against undue and illegal promotions given to certain persons in order to influence the official machinery.

I hope the Government will not encourage the defectors and Gujarat Assembly will be dissolved as soon as possible.

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : मुझे आशा है कि राष्ट्रपति शासन की बढ़ाई गई अवधि के दौरान आपात स्थिति से प्राप्त लाभों का पूरा फायदा उठाया जाएगा। गुजरात में पड़े भयंकर सूखे के दौरान कुछ खेदजनक घटनाएं हुईं। सूखे के दौरान ही चुनाव कराए गए क्योंकि चुनावों का अपेक्षित परिणाम नहीं निकला है इसलिए हम अपने को ही दोषी ठहराते हैं।

लोकतांत्रिक प्रणाली का दुरूपयोग करने का क्या परिणाम होता है यह हमें गुजरात में देखना चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए। सर्वत्र यह संकेत मिले हैं कि सत्ताधारी दल गुजरात में सरकार स्थापित कर सकता है लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि हम एक स्थिर सरकार लाना चाहते हैं, चाहे इस काम में कुछ विलम्ब हो जाए। मैं गृह मंत्री द्वारा लाए गए विधेयक का समर्थन करता हूं और उसका स्वागत करता हूं।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : महोदय, सामान्य परिस्थितियों में हम कहीं भी राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का समर्थन नहीं करते लेकिन असामान्य परिस्थितियों में जबकि गुजरात में सूखे के कारण गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, हम राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने का पूरा समर्थन करते हैं।

गुजरात में मंत्रिमंडल बनते हैं और विघटित हो जाते हैं। इसलिए मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस समस्या का स्थायी समाधान तथा इस अस्थिरता के कारणों का पता लगाने का प्रयत्न करें।

राष्ट्रपति शासन के दौरान सरकारी अधिकारी सत्ता का दुरूपयोग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रोकने के लिए विधायक या जनता के प्रतिनिधि नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में राज्यपाल एवं प्रशासन का यह कर्त्तव्य है कि वे जन-कल्याण कार्यों की ओर ध्यान दें।

भारत के राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू रखने की अवधि निश्चित होनी चाहिए। गुजरात में लोकतांत्रिक सरकार को कार्य क्यों नहीं करने दिया जाता। ऐसा न करने के क्या कारण हैं। केवल तभी हम एक स्थायी सरकार बना सकते हैं। लोकतंत्री ढांचे में किसी राज्य में बार-बार सरकार को बदलना और राष्ट्रपति शासन लागू करना ठीक नहीं है परन्तु इन परिस्थितियों में हम तमिलनाडु और गुजरात में राष्ट्रपति शासन का स्वागत करते हैं। तमिलनाडु और गुजरात में मूंगफली के तेल का कृत्रिम अभाव पैदा किया गया है। राष्ट्रपति शासन में न केवल तस्करों अपितु समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए। वहां चुनाव कराना बेहतर होगा ताकि निर्वाचित सरकार गुजरात के लोगों की भलाई की ओर ध्यान दे सकें।

कुछ शरारती अधिकारी जिनकी इन राजनीतिक दलों के साथ सांठ-गांठ है और जो 20 सूत्री कार्यक्रम का विरोध करते हैं वे उसे क्रियान्वित करना नहीं चाहते हैं। उन्हें सरकारी व्यवस्था से निकाल दिया जाना चाहिए और जनता के हित में उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए। अतः गुजरात में राष्ट्रपति शासन की अवधि और 6 महीने तक बढ़ाए जाने वाले सांविधिक संकल्प का मैं समर्थन करता हूं।

Dr. Rudra Pratap Singh (Barabanki): **I rise to support the Statutory** Resolution extending President's rule in Gujarat for a further period of six months.

The wave of anarchy and violence which necessitated the promulgation of emergency was started in Gujarat. Gujarat was at that time ravaged by serious drought situation. The reactionary and anti-social elements wanted to exploit this situation and created chaotic conditions which threatened to engulf the whole country. Fortunately the Prime Minister has taken a bold step for bringing such a situation under control and thus saved democracy.

The anti-social and right reactionary elements which were responsible for bringing in such a situation have not been eliminated. They have only been suppressed for the time being. They may raise their ugly head again if there is any relaxation in law and order situation. Therefore, it is necessary to extend the President's rule for a further period of six months.

In fact the situation in Gujarat is not quite congenial for lifting President's rule and for holding elections. Whenever circumstances will permit the establishment of a stable government, steps will be taken for holding elections and bringing a popular Government in saddle again Gujarat. We are interested in progress, development and prosperity of Gujarat and the people there.

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस संकल्प पर वाद-विवाद में भाग लिया है और इसका समर्थन किया है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि किन परिस्थितियों में जनता मोर्चा सरकार हारी है। मार्च के महीने में ऐसे ही एक संकल्प पर चर्चा के दौरान गुजरात में जनता मोर्चा शासन के बारे में वाद-विवाद हुआ था। उस समय दोनों सदनों में यह महसूस किया गया था कि राज्य के प्रशासन में अनेक खामियां और कुप्रबन्ध व्याप्त हैं। राष्ट्रपति शासन के 6 महीने व्यतीत हो जाने पर प्रशासन में सुधार करने, कार्य कुशलता बढ़ाने, भ्रष्ट लोगों को निकालने और समाज के गरीब-वर्ग की आवश्यकतायें पूरी करने वाले 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को ईमानदारी और निष्ठापूर्वक लागू करने के लिये कई कदम उठाये गये हैं।

राज्य प्रशासन ने अनेक क्रियाकलापों में जनता को अधिक से अधिक राहत देने के लिये अनेक कदम उठाये हैं। दुर्भाग्यवश जून के महीने में राज्य में बहुत भयंकर तूफान आया था। जन-धन की भारी हानि हुई तथा बहुत से पशु भी मारे गये थे। राज्य प्रशासन ने तूफान से प्रभावित जनता को राहत देने के लिये तुरन्त और कारगर कदम उठाये हैं।

20–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मद मूल्यों को कम करना है जो भारत की आम जनता के लिये परमावश्यक है। वस्तुत: मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं। लेकिन खेद है कि जुलाई में मूंगफली के मूल्य बढ़ने लगे। सरकार ने व्यापारियों और तेल मिल-मालिकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की। आंसुका के अन्तर्गत 9 व्यापारियों और मिल-मालिकों को गिरफ्तार किया गया। राज्य प्रशासन ने न केवल 20–सूत्री कार्यक्रम के दूसरे पहलुओं को लागू करने बल्कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करके जनसाधारण को राहत देने के लिये भी प्रभावी और पर्याप्त कदम उठाये हैं।

बन्धुआ मजदूरों के मामलों का उल्लेख किया गया है। सलाहकार समिति की बैठक में श्री भोगेन्द्र झा द्वारा की गई टिप्पणी के बारे में मेहसाना के जिलाधीश ने जांच की है। उनके प्रतिवेदन के अनुसार वहां बंधुआ मजदूरी का चलन नहीं लेकिन न्यूनतम मजूरी का भुगतान न करने के मामले प्रकाश में आये हैं जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गई है। यदि बन्धुआ मजदूरी का कोई मामला आता है तो उसे मेरे ध्यान में लाया जाये। मैं उसकी जांच कराऊंगा। अन्ततः हम सभी चाहते हैं कि बन्धुआ मजदूरी का चलन समाप्त हो।

जनजाति क्षेत्र उप-योजनाओं का उल्लेख किया गया है। गुजरात ने एक जनजाति क्षेत्र उप-योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत सूरत, बलसाड़, भरुच, बदोदरा, पंचमहल, साबरकंठा तथा डांग जिलों के 32 तालुक रखे गये हैं। इस उप-योजना के लिये 154.89 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इसमें 84.06 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र से रखे गये हैं। उप-योजना के क्षेत्र का सीमांकन 8 परियोजनाओं में किया गया है। प्रत्येक का प्रभारी अधिकारी समाहर्ता पद के वरिष्ठ

[श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी]

अधिकारी के समान होगा। चालू वर्ष के लिये उप-योजना हेतु राज्य क्षेत्र से 15 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त 3.55 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय राज सहायता भी दी गई है। उप-योजना के लिये चालू वर्ष के कार्यक्रम में 219 योजनाएं शामिल की गई हैं।

इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिये एक विधेयक तैयार किया गया है कि भूमि वाले जनजाति के लोगों की गैर-जनजाति के लोगों के पक्ष में भूमि हस्तांतरण करने से रक्षा की जाये और अतीत में जो भूमि उनकी हस्तांतरित की गई थी वह उन्हें पुनः वापस कर दी जाये। इसके अलावा हाल ही में सरकार द्वारा लिये गये एक निर्णय के अनुसार जनजाति के काश्तकारों को, जिन्हें काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का स्वामित्व प्रदान किया गया है, ऋण 11 प्रतिशत की बजाय चार प्रतिशत की दर से दिया जायेगा। गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक अब तक 11 प्रतिशत की दर से ऋण देता आया है। ब्याज की दर में जो अन्तर है, इसे पूरा करने के लिये सरकार राज सहायता प्रदान करेगी।

कच्छ पहले वर्ग "ग" का राज्य था और बाद में पुनर्गठन के पश्चात् जब यह गुजरात राज्य में आ गया तो वहां के लोगों ने मांग की कि कच्छ के लिये एक पृथक् विकास बोर्ड स्थापित किया जाये। वर्तमान प्रशासन ने सहयोगपूर्ण रवैया अपनाया है और सरकार से सिफारिश की है कि अनुच्छेद 371(2) के अन्तर्गत वहां एक विकास बोर्ड की स्थापना की जाये ताकि इस पिछड़े क्षेत्र का विकास तेजी से हो।

पूछा गया है कि जब कांग्रेस दल का बहुमत है तो वह वहां सरकार क्यों नहीं बनाते। ऐसी बात नहीं है कि हम किसी लोकप्रिय सरकार के विरुद्ध हैं। हम वहां एक लोकप्रिय सरकार चाहते हैं। स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। यदि सरकार यह महसूस करती है कि वहां एक स्थिर सरकार की, जो वहां के लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकें, स्थापना कर सकती है तो निश्चित ही सरकार इस पर विचार करेगी। विधान सभा को भंग करने का मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है। जब वहां सरकार बनाने के लिये परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो हम इसके लिये प्रभावी कदम उठायेंगे। परन्तु अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि गुजरात के लोगों का हित हो और वहां की जनता के लिये एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना हो। लेकिन विचारों तथा कार्यक्रमों की विभिन्नता वाले भिन्न प्रकार के लोग यदि एक होकर सरकार बनाना चाहते हों तो सरकार बनाने के बाद निश्चय ही कठिनाइयां पैदा होंगी। यह सब हमने 1967 में देखा। यह हमारे लिये कोई नया अनुभव नहीं है। इस परिस्थिति में गुजरात में राष्ट्रपति शासन की अवधि और छः महीने के लिये बढ़ाना अनिवार्य है।

श्री भोगेन्द्र झा : 20-सूत्री कार्यक्रम के लिये गैर-सरकारी कार्यान्वयन समिति, जिसमें कांग्रेस, साम्यवादी दल तथा इसी प्रकार के लोग हों, बनाने में क्या बाधा है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : गुजरात सरकार ने जिला स्तर पर 20-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये उचित कार्यवाही की है। जिला पंचायत के प्रधान, सभी संसद् तथा विधान सभा सदस्य आदि इसके सदस्य हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन गुजरात राज्य के संबंध में दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा को 24 सितम्बर, 1976 से 6 मास की अवधि के लिये और लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 125 विपक्ष में 4

Ayes Noes

संकल्प स्वीकृत हुआ।

The Resolution was adopted.

तमिलनाडु सहकारी राज्य पूर्ति विकास बैंक लिमिटेड द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों के सम्बन्ध में तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गयी गारण्टी के सम्बन्ध में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE: GUARANTEE BY TAMIL NADU GOVT. IN RESPECT OF DEBENTURES ISSUED BY THE TAMIL NADU COOPERATIVE STATE LAND DEVELOPMENT BANK LIMITED

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा तमिलनाडु सरकार के उस प्रस्ताव से सहमत है जिसके द्वारा तमिलनाडु सहकारिता भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का तमिलनाडु अधिनियम संख्या 10) की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन तमिलनाडु सहकारी राज्य भूमि विकास बैंक लिमिटेड द्वारा जारी किये गये ऋणपत्रों के बारे में उस सरकार द्वारा दी गई गारंटी की अधिकतम राशि 250 करोड़ रुपये (दो सौ पचास करोड़ रुपये मात्र) के कुल मूल्य तक बढ़ा दी गई है जिसमें एसे ऋणपत्र शामिल नहीं होंगे जिनका बैंक द्वारा समय-समय पर भुगतान किया गया हो और व ऋणपत्र किसी भी मामले में जारी करने की तारीख से 25 वर्ष से अधिक अवधि के न हों और उन ऋणपत्रों के किसी निगम पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित ब्याज की दर से अधिक ब्याज देय न हो।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा तमिलनाडु सरकार के उस प्रस्ताव से सहमत है जिसके द्वारा तमिलनाडु सहकारिता भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का तमिलनाडु अधिनियम संख्या 10) की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन तमिलनाडु सहकारी राज्य भूमि विकास बैंक लिमिटेड द्वारा जारी किये गये ऋणपत्रों के बारे में उस सरकार द्वारा दी गई गारंटी की अधिकतम राशि 250 करोड़ रुपये (दो सौ पचास करोड़ रुपये मात्र) के कुल मूल्य तक बढ़ा दी गई है जिसमें एसे ऋणपत्र शामिल नहीं होंगे जिनका बैंक द्वारा समय-समय पर भुगतान किया गया हो और वे ऋणपत्र किसी भी मामले में जारी करने की तारीख से

[श्री शाहनवाज खां]

25 वर्ष से अधिक अवधि के न हों और उन ऋणपत्रों के किसी निर्गम पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित ब्याज की दर से अधिक ब्याज देय हो।"

संकल्प स्वीकृत हुआ।

The Resolution was adopted.

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक
SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों को सम्मिलित करने और उनसे उन्हें अपवर्जित करने के लिए, जहां तक कि ऐसे सम्मिलित या अपवर्जित किये जाने के कारण संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन करना आवश्यक हो जाता है वहां तक ऐसे पुनः समायोजन का और उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

माननीय सदस्यगण इस बात को जानते हैं कि अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियां पुनरीक्षित करने पर अनेक वर्षों से विचार हो रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 341 का सम्बन्ध किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्बन्धी अनुसूचित जातियों के रूप में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट जातियों से है। इसी तरह अनुच्छेद 342 का सम्बन्ध किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्बन्धी अनुसूचित जनजातियों के रूप में निर्दिष्ट जनजातियों की अधिसूचना से है। कई समुदायों को एक सबसे बड़ी कठिनाई इस बात से हुई कि इस समय कुछ राज्यों में उन्हें राज्य के किसी एक भाग में अनुसूचित किया गया है न कि समूचे राज्य में। इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त सुविधाएं रियायतें तथा आरक्षण उस राज्य के भौगोलिक दृष्टि से किसी एक विशेष छोटे से भाग के लोगों को ही उपलब्ध होगी।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 सम्बन्धी संयुक्त समिति ने यह भी सिफारिश की है कि इन अधिकांश मामलों में क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटा दिया जाये। इन क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हटाने से उन बहुत से लोगों को लाभ होगा जिन्हें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष कल्याण तथा विकासशील योजनाओं का लाभ उठाना है। यह विधेयक यथा संभव क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हटाने के उद्देश्य से पेश किया गया है और इस तरह विद्यमान विषमताएं दूर हो जायेंगी।

यद्यपि इस विधेयक की सामान्य योजना, क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को समाप्त करने की है। तथापि अनुसूचित जातियों की सूची में 25 मामलों में ऐसे प्रतिबन्धों को बराबर रखा गया है। अनुसूचित जनजातियों के 39 मामलों में भी क्षेत्रीय प्रतिबन्ध रखा गया है। उन समुदायों के लिए अधिकांश प्रतिबन्ध रखे गये हैं, जिनके लिए संयुक्त समिति ने प्रतिबन्ध रखने का प्रस्ताव किया है।

संयुक्त समिति ने यह भी सिफारिश की है कि कुछ समुदायों को सूची से निकाल दिया जाये और कुछ को उसमें सम्मिलित किया जाये। ये कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर विभिन्न प्रकार की राय प्रकट की गई है। वर्तमान विधेयक का मामला इस पहलू से कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी समिति ने जिन समुदायों को सूची से निकालने की सिफारिश की है और जिनकी 1961 तथा 1971 में जन-गणना नहीं है, उन्हें विधेयक में नहीं रखा गया है। अन्य मामलों में, जहां समिति ने उन्हें सूची से निकालने की सिफारिश की है, वहां यथास्थिति को बनाये रखा है और जब कभी कोई क्षेत्रीय प्रतिबन्ध लागू हुआ है, उस प्रतिबन्ध को जारी रखा जा रहा है। अन्य शब्दों में यों कहा जा सकता है कि इस विधेयक के उपबन्धों से कइयों को लाभ होगा और कोई भी वर्तमान उपलब्ध सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा।

इस विधेयक के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में वृद्धि होगी। महा रजिस्ट्रार को नई सूचियों के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का पुनः अनुमान लगाने के लिए इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण करना भी आवश्यक होगा।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : मैं अपना संशोधन संख्या 115 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi): India is a country of a number of Castes and sub-castes and the pattern of our society is also quite different from other countries. These castes and sub-castes had been the victims of various class-struggles.

We have not been able to contribute towards the betterment of these castes and sub-castes to the extent it was expected and adequate 20-Point programme is a constructive step towards ameliorating the lot of these castes. It is for the first time that sufficient attention is being paid towards his section of society.

This bill seeks to include in and exclude from certain castes in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I would like to know the reasons for which certain castes are being excluded from this list.

There is one caste named "Tharu" in the mill region of Uttar Pradesh which has been declared as Scheduled Tribes but the same caste in Bihar has not been declared as such. Such type of castes in other parts of the country have not been included in the list despite their representations.

Mr. Chairman: You may continue your speech tomorrow.

इसके बाद लोक सभा गुरुवार, 2 सितम्बर, 1976/11 भाद्र, 1898 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, September 2, 1976/Bhadra 11, 1898 (Saka).

GMGIPND—1759LS—L—16-10-76—200